

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 अक्टूबर 2016—आश्विन 22, शक 1938

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. ई-1-296-2016-5-एक.—नीचे तालिका के खाना-2 में दर्शाए भा. प्र. से अधिकारियों को अपर सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय पदस्थ किया गया है, को आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष खाना-3 में दर्शाए विभाग में पदस्थ किया जाता है:—

| क्र. | अधिकारी का नाम एवं पदनाम                                  | विभाग का नाम                               |
|------|---|--|
| (1)  | (2)   | (3)  |
| 1    | श्री एन. पी. डहेरिया (2001)<br>अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन. | अपर सचिव,<br>मध्यप्रदेश शासन,<br>वन विभाग. |

| (1) | (2)  | (3)   |
|-----|--|---|
| 2   | श्री राजीव शर्मा (2004)<br>उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,    | उपसचिव,<br>मध्यप्रदेश शासन,<br>नगरीय विकास एवं<br>आवास विभाग.         |
| 3   | श्री भगत सिंह कुलेश (2005)<br>उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन. | उपसचिव, मध्यप्रदेश<br>शासन, गृह विभाग.                                |
| 4   | श्री सभाजीत यादव (2006)<br>उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.    | उपसचिव, मध्यप्रदेश<br>शासन, तकनीकी<br>शिक्षा एवं कौशल<br>विकास विभाग. |
| 5   | श्री आशकृत तिवारी (2006)<br>उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.   | उपसचिव, मध्यप्रदेश<br>शासन, अनुसूचित<br>जाति कल्याण विभाग             |

3891

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्र. ई-5-709-आयएस-लीव-5-(एक).—(1) श्रीमती सीमा शर्मा, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 3 से 14 अक्टूबर 2016 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 15, 16 अक्टूबर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सीमा शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सीमा शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सीमा शर्मा अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2016

क्र. ई-5-845-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. सी. जैन, आयएस., सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को दिनांक 6 से 12 अगस्त 2016 तक सात दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री के. सी. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2016

क्र. ई-5-564-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती वीरा राणा, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 23 सितम्बर से 5 अक्टूबर 2016 तक तेरह दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्रीमती वीरा राणा की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती वीरा राणा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश

शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती वीरा राणा द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव उक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती वीरा राणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वीरा राणा अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2016

क्र. ई-5-634-आयएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. मनोहर अगनानी, आयएस., आयुक्त सागर संभाग, सागर को दिनांक 28 सितम्बर से 4 अक्टूबर 2016 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) डॉ. मनोहर अगनानी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, आयएस., अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. मनोहर अगनानी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त सागर संभाग, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) डॉ. मनोहर अगनानी द्वारा आयुक्त, आयुक्त सागर संभाग, सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रमोद कुमार उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में डॉ. मनोहर अगनानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मनोहर अगनानी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-817-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राहुल जैन, आयएस., कलेक्टर, जिला रीवा को दिनांक 13 से 22 अक्टूबर 2016 तक दस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 अक्टूबर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री राहुल जैन की अवकाश अवधि में श्री नागेन्द्र मिश्र, भाप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला रीवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला रीवा का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री राहुल जैन द्वारा कलेक्टर, जिला रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नागेन्द्र मिश्र, कलेक्टर, जिला रीवा के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री राहुल जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल जैन, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2016

क्र. ई-5-1029-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री गोपाल चन्द्र डाड, अपर मेला अधिकारी, सिंहस्थ, उज्जैन को समसंख्यक आदेश दिनांक 6 सितम्बर 2016 द्वारा दिनांक 30 अगस्त से 3 सितम्बर 2016 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में अब उन्हें दिनांक 4 से 9 सितम्बर 2016 तक छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री गोपाल चन्द्र डाड को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गोपाल चन्द्र डाड अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2016

क्र. ई-5-793-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. संजय गोयल, आयएएस., कलेक्टर, जिला ग्वालियर को दिनांक 24 दिसम्बर 2016 से 4 जनवरी 2017 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) डॉ. संजय गोयल की अवकाश अवधि में श्री नीरज कुमार सिंह, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. संजय गोयल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) डॉ. संजय गोयल द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर, जिला ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में डॉ. संजय गोयल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. संजय गोयल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-972-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आशीष भार्गव, आयएएस., अपर कलेक्टर, जिला भोपाल को दिनांक 3 अक्टूबर से 5 नवम्बर 2016 तक चौतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष भार्गव को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, अपर कलेक्टर, जिला भोपाल विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आशीष भार्गव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष भार्गव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

## गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2016

क्र. एफ 1(ए)111-1986-ब-2-दो.—श्री संजय चौधरी, भापुसे, महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 19 सितम्बर से 14 अक्टूबर 2016 तक छब्बीस दिवस अर्जित अवकाश की कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय चौधरी, भापुसे को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री संजय चौधरी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय चौधरी, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीदास, अवर सचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2016

फा. क्र. 17(ई)67-2008-इक्कीस-ब(एक) 3395.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों की सेवाएं श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने हेतु श्रम विभाग को सौंपता है।

| क्र.<br>(1) | नाम तथा पद<br>(2)  | नवीन पद स्थापना<br>(3)  |
|-------------|--|---|
| 1           | श्रीमती कुमुदिनी पटेल, तृतीय सिविल न्यायाधीश वर्ग-1, एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल. | पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय नं. 1, भोपाल, रिक्त पद पर.     |
| 2           | श्री तनवीर अहमद खान, तृतीय सिविल न्यायाधीश, वर्ग-1, एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच.   | अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, इन्दौर, रिक्त पद पर. |

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2016

फा. क्र. 17(ई)43-2009-इक्कीस-ब(एक) 3393-2016.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)-43-2009-2723-इक्कीस-ब(एक) 16, दिनांक 31 अगस्त 2016 में, निम्नलिखित संशोधन करता है:—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में सारणी में, अनुक्रमांक 20, 44 एवं 73 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:—

### सारणी

| अनुक्रमांक<br>(1) | न्यायाधिकारी का नाम<br>(2)   | पदस्थापना का स्थल<br>(3) | सिविल जिले का नाम<br>(4) | मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम<br>(5) | ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम<br>(6) |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|--|
| “20.              | श्री मुकेश रावत,<br>द्वितीय व्यवहार, न्यायाधीश,<br>वर्ग-2.                     | दमोह                     | दमोह                     | दमोह   | दमोह                                     |
| 44.               | श्री सुरेश कुमार सूर्यवंशी,<br>द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश,<br>वर्ग-1.           | मंदसौर                   | मंदसौर                   | मंदसौर   | मंदसौर                                   |
| 73.               | श्री रविन्द्र कुमार शर्मा<br>(सीनियर).<br>द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश<br>वर्ग-1. | शिवपुरी                  | शिवपुरी                  | शिवपुरी  | शिवपुरी                                  |

F.No. 17(E)43-2009-XXI-B(1)-3393-2016.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this department's Notification F. No. 17(E)43-2009-XXI-B(1), 2723-16, dated 31st August 2016 namely :—

## AMENDMENT

In the said Notification in the table, for serial numbers 20, 44 and 73 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

| S.No. | Name of Nyayadhikari                                      | Place of Posting | Name of Civil District | Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level | Name of Headquarter of Gram Nyayalaya |
|-------|---|------------------|------------------------|--|---------------------------------------|
| (1)   | (2)   | (3)              | (4)                    | (5)  | (6)                                   |
| 20.   | Shri Mukesh Rawat, II Civil Judge Class-II.               | Damoh            | Damoh                  | Damoh  | Damoh                                 |
| 44.   | Shri Suresh Kumar Suryavanshi, II Civil Judge Class-I.    | Mandsaur         | Mandsaur               | Mandsaur   | Mandsaur                              |
| 73.   | Shri Ravindra Kumar Sharma (Sr.), II Civil Judge Class-I. | Shivpuri         | Shivpuri               | Shivpuri   | Shivpuri”                             |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव.

## वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2016

क्र. एफ-15-16-2016-दस-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम, 2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम 04 (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र घोषित करती है:—

| क्रमांक | वनमण्डल                 | परिक्षेत्र           | स्थल   | अनुसूची   |                          | सीमाएं  |
|---------|-------------------------|----------------------|--------|---|--------------------------|---|
|         |                         |                      |        | कक्ष क्रमांक  | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |   |
| (1)     | (2)                     | (3)                  | (4)    | (5)   | (6)                      | (7)   |
|         | उत्तर (सामान्य) बालाघाट | दक्षिण लामता सामान्य | चाचेरी | 1322,1323,1324,1325<br>1326,1327,1328,1329<br>1330,1331,1340ए,1340बी<br>1332,1333,1390,1391<br>1392 | 3975.720                 | पूर्व —कक्ष क्रमांक पी.यू.1991,पी.यू. 1990, पी. 1386, पी. 1387, पी. 1388,1393, 1394 की वन सीमा लाईन एवं ग्राम कुरामटोला, अमोली पाढ़रवाडा, डोगबोडी, चाचोली, भालेवाडा, चाचेरी हिरमुटोला, की राजस्व की सीमा एवं पी.डब्ल्यू.डी.मार्ग<br>पश्चिम—वैनगंगा नदी, सिवनी एवं बालाघाट जिले की प्राकृतिक सीमा.<br>उत्तर— ग्राम दूटी एवं दूटी बांध स्थित है.<br>दक्षिण—ग्राम मगरदर्रा एवं ग्राम टेकरी की राजस्व सीमा. |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2016

क्र. एफ-15-16-2016-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-16-2016-दस-2, दिनांक 29 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 29th September 2016

No. F-15-16-2016-X-2.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Mdhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015, Under the sub-section 4 (1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following Schedule as **Wildlife Experience Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:—

SCHEDULE

| S. No. | Forest Division    | Forest Range    | Site     | Compartment No.   | Area in (Hectares) | Boundaries   |
|--------|--------------------|-----------------|----------|---|--------------------|--|
| (1)    | (2)                | (3)             | (4)      | (5)   | (6)                | (7)  |
| 1      | North Balaghat (T) | South lamta (T) | Chacheri | 1322,1323, 1324,1325, 1326,1327, 1328,1329, 1330,1331, 1340A,1340B, 1332,1333, 1390,1391, 1392. | 3975.720           | East—Forest boundary line of Compartment No. PU 1991, PU 1990 P 1386, P 1387, P 1388, 1393, 1394 and revenue boundary of village Kuraamtola, Amoli, Paadarwada, Dogarbodi, Chicholi, Bhalewada, Chacheri, Hirmutola and PWD road.<br><br>West—Wainganga River and boundaries of district Seoni and Balaghat.<br>North—Village Dooti and Dooti Dam<br>South—Magardarra and revenue boundary of tekri village. |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2016

क्र. एफ-15-20-2016-दस-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम, 2015 बनाये गये हैं. उक्त नियम के नियम 03 (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है:—

| क्रमांक | वनमण्डल    | परिक्षेत्र | स्थल                     | अनुसूची कक्ष क्रमांक | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | सीमाएं  |
|---------|------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|---|
| (1)     | (2)        | (3)        | (4)                      | (5)                  | (6)                      | (7)   |
| 1       | उत्तर सागर | खुरई       | सिद्धधाम स्थल कनेरा गौड़ | आरक्षित वन-28.       | 06.00                    | पूर्व—कनेरा नाला की प्राकृतिक सीमा से बड़े देव चबूतरा तक.<br>पश्चिम—जमुनिया धीरज-कनेरा मार्ग से प्राकृतिक कनेरा नाला तक.<br>उत्तर—कनेरा नाला की प्राकृतिक सीमा.<br>दक्षिण—प्राकृतिक नाला, बड़े देव चबूतरा से समेरा मार्ग की सीमा जमुनिया धीरज-कनेरा मार्ग तक. |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2016

क्र. एफ-15-20-2016-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-20-2016-दस-2, दिनांक 4 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 4th October 2016

No. F-15-20-2016-X-2.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015, Under the sub-section 3 (1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following Schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:—

SCHEDULE

| S. No. | Forest Division | Forest Range | Site                   | Compartment No. | Area (in Hectares) | Boundaries  |
|--------|-----------------|--------------|------------------------|-----------------|--------------------|---|
| (1)    | (2)             | (3)          | (4)                    | (5)             | (6)                | (7)   |
| 1      | Noth Sagar      | Khurai       | Siddhadham Kanera Gond | RF 28           | 6.00               | <b>East</b> —Natural Boundary of Kanera Nala to Bade Dev Chabutara.<br><b>West</b> —Jamunia Dheeraj Kanera road to Boundary of Kanera Nala.<br><b>North</b> —Boundary of Kanera Nala.<br><b>South</b> —Natural Nala, Bade Dev Chabutara to Samera road boundary till Jamunia Dheeraj Kanera road. |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2016

सूचना

क्र. एफ. 3-29-2016-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की सूचना क्र. एफ-3-29-2016-अठारह-5, दिनांक 27 अप्रैल 2016 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित उमरिया विकास योजना 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

| क्रमांक | ग्राम  | खसरा क्रमांक                        | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)                  | विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग | उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग |
|---------|--------|-------------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| (1)     | (2)    | (3)                                 | (4)                                       | (5)                                | (6)                               |
| 1       | डबरोहा | 330,<br>331,<br>332,<br>336,<br>337 | 0.648<br>0.244<br>0.425<br>0.623<br>0.080 | कृषि                               | आवासीय                            |
|         |        | योग . .                             | 2.020                                     |                                    |                                   |

- भूमि का आवंटन अटल आश्रय योजना हेतु किया गया है. अतः जिस प्रयोजन हेतु आवंटित की गई है, उससे भिन्न उपयोग प्रतिबंधित रहेगा.
- उपरोक्त उपांतरण उमरिया विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. के. साधव, उपसचिव.

**वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2016

क्र. 1773-1571-2016-बी(सी)-ग्यारह.—राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44, सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट अधिकारी को सारणी के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर, उसके कालम (3) में यथाविनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर श्री बी. एस. सोलंकी के अवकाश से लौटने तक के लिये आगामी आदेश तक नियुक्त करता है:—

| अनु.क्र.<br>(1) | अधिकारी का नाम<br>(2)   | अधिनियम की धाराएं<br>(3)  | क्षेत्र<br>(4)           |
|-----------------|---|---|--------------------------|
| 1               | श्री एम. जे. कुरैशी, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं सागर संभाग, सागर. | 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25 (2), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37 38 एवं 39. | ग्वालियर संभाग, ग्वालियर |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शालिनी सिन्हा, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2016

क्र. एफ 1(1)15-2016-बी-ग्यारह.—राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के अन्तर्गत उद्योग एवं रोजगार संचालनालय का पृथक् से गठन किया जाता है. साथ ही संचालनालय हेतु रोजगार कार्यालयों एवं रोजगार प्रभाग के लिये पूर्व से स्वीकृत सहायक ग्रेड-3 के 51 पदों को समर्पित कर कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदा) के 51 पद सृजित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सागर (मध्यप्रदेश)

सागर, दिनांक 29 जुलाई 2015

क्र. न्या.लि.-15.—सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र एफ-दो(क) 15-99-बी-3-दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 में जारी निर्देशों के परिपालन में एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974) संख्यांक-2 की धारा दो के खण्ड एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दर्शायी गयी सारणी को मध्यप्रदेश राज्य पत्र ने इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से:—

1. नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में उल्लेखित पुलिस थानों/अनुभाग से उसके (सारणी के कालम) (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित किये जाने हेतु.



2. सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कॉलम (3) में उल्लेखित अनुभाग रहली/खुरई के थाना क्षेत्र के ग्रामों का परिसीमन किये जाने का प्रस्ताव.

### अनुभाग-रहली

#### सारणी

| क्र. | ग्रामों के नाम जिनका परिसीमन किया जाना है | वर्तमान में किस थाना चौकी अन्तर्गत है एवं दूरी | जिस थाना/ चौकी में सम्मिलित किया जाना है, नाम एवं दूरी   | सांसद/विधायक द्वारा प्रस्तावित ग्राम जिनका परिसीमन किया जाना है अभिमत सहित               | ग्राम पंचायत सभा का अभिमत   | रिमार्क |
|------|---|--|--|--|---|---------|
| (1)  | (2)                                       | (3)  | (4)  | (5)  | (6)   | (7)     |
| 1    | ग्राम रानगिर थाना गौरझामर 20 कि.मी.       | थाना रहली 20 कि.मी.                            | माननीय विधायक / मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, सहकारिता विभाग मध्यप्रदेश द्वारा कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है. | ग्राम पंचायत सभा में उक्त ग्राम को यथावत थाना गौरझामर में रखे जाने हेतु लेख किया गया है. | समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना गौरझामर वर्तमान में देवरी अनुभाग के अंतर्गत आता है व दूरी समान होने से एवं ग्राम रानगिर की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील रहली के अन्तर्गत आने से कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम रानगिर को थाना रहली में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है. |         |
| 2    | ग्राम रामपुर थाना गौरझामर 12 कि.मी.       | थाना रहली 21 कि.मी.                            | माननीय विधायक / मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, सहकारिता विभाग मध्यप्रदेश द्वारा कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है. | ग्राम पंचायत सभा में उक्त ग्राम को यथावत थाना रहली में रखे जाने हेतु लेख किया गया है.    | समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना गौरझामर वर्तमान में देवरी अनुभाग के अन्तर्गत आता है एवं ग्राम रामपुर की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील रहली के अन्तर्गत आने से कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम रामपुर को थाना रहली में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है.                    |         |
| 3    | ग्राम पाटई थाना गौरझामर 13 कि.मी.         | थाना रहली 22 कि.मी.                            | माननीय विधायक / मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, सहकारिता विभाग मध्यप्रदेश द्वारा कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है. | ग्राम पंचायत सभा में उक्त ग्राम को यथावत थाना रहली में रखे जाने हेतु लेख किया गया है.    | समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना गौरझामर वर्तमान में देवरी अनुभाग के अन्तर्गत आता है एवं ग्राम पाटई की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील रहली के अन्तर्गत आने से कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम रामपुर को थाना रहली में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है.                      |         |



## अनुभाग-खुरई सारणी

| क्र. | ग्रामों के नाम जिनका परिशीमन किया जाना है | वर्तमान में किस थाना चौकी अन्तर्गत है एवं दूरी | जिस थाना/ चौकी में सम्मिलित किया जाना है, नाम एवं दूरी | सांसद/विधायक द्वारा प्रस्तावित ग्राम जिनका परिशीमन किया जाना है अभिमत सहित   | ग्राम पंचायत सभा का अभिमत   | रिमार्क  |
|------|---|--|--|--|---|--|
| (1)  | (2)                                       | (3)  | (4)  | (5)  | (6)   | (7)  |
| 1    | ग्राम धरमपुर                              | थाना बांदरी से 40 कि.मी.                       | थाना खुरई से 15 कि.मी.                                 | माननीय मंत्री परिवहन सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग मध्यप्रदेश द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है. | ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है. | समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अन्तर्गत आता है, ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम धरमपुर की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अन्तर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम धरमपुर को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है. |
| 2    | ग्राम बलोप                                | थाना बांदरी से 38 कि.मी.                       | थाना खुरई से 14 कि.मी.                                 | माननीय मंत्री परिवहन सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग मध्यप्रदेश द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है. | ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है. | समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अन्तर्गत आता है ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम बलोप की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अन्तर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम बलोप को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है.      |
| 3    | ग्राम पाली                                | थाना बांदरी से 30 कि.मी.                       | थाना खुरई से 14 कि.मी.                                 | माननीय मंत्री परिवहन सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जनशिकायत निवारण विभाग मध्यप्रदेश द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है.  | ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है. | समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अन्तर्गत आता है ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम पाली की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अन्तर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम पाली को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है.      |





| (1) | (2)   | (3)                    | (4) | (5)  | (6)   | (7)   |
|-----|---|------------------------|-----|--|---|---|
| 12  | ग्राम डेमाढाना थाना बांदरी से 12 कि.मी.     | -                      |     | माननीय मंत्री परिवहन सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग मध्यप्रदेश द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है. | ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है. | समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अन्तर्गत आता है ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम डेमाढाना राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अन्तर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम डेमाढाना को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है.            |
| 13  | ग्राम जमुनिया थाना बांदरी धीरज से 18 कि.मी. | थाना खुरई से 12 कि.मी. |     | माननीय मंत्री परिवहन सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग मध्यप्रदेश द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है. | ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है. | समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अन्तर्गत आता है ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम जमुनिया धीरज की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अन्तर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम जमुनिया धीरज को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है. |

ए. के. सिंह, जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन उपसचिव.

### कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश

श्योपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2016

क्र. ब.श्र.प्र.समा.-सर्त.समि.-जि.श्र.सी-2016.—बंधक श्रमिक प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13 (3) में विहित प्रावधानों के अनुसार जिला एवं उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति का पुनर्गठन अधिसूचना जारी की अवधि से दो वर्षों की कालावधि के लिये किया जाता है:—

बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधि. 1976 की धारा 13 के अन्तर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति, श्योपुर

| क्र<br>(1) | समिति के सदस्य का नाम<br>(2)                                       | पद<br>(3) | पता<br>(4)   |
|------------|--|-----------|--------------|
| 1          | कलेक्टर, श्योपुर   | अध्यक्ष   | जिला श्योपुर |
| 2          | पुलिस अधीक्षक, श्योपुर   | सदस्य     | जिला श्योपुर |
| 3          | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग श्योपुर                       | सदस्य     | जिला श्योपुर |
| 4          | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग कराहल                         | सदस्य     | जिला श्योपुर |
| 5          | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग विजयपुर                       | सदस्य     | जिला श्योपुर |
| 6          | लीड बैंक अधिकारी (अग्रणी प्रबन्धक) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, श्योपुर. | सदस्य     | जिला श्योपुर |

| (1) | (2)   | (3)           | (4)                                 |
|-----|---|---------------|-------------------------------------|
| 7   | श्री कैलाश पाराशर पिता श्री बजरंगलाल पाराशर         | अशासकीय सदस्य | नवग्रह मंदिर के पास श्योपुर         |
| 8   | श्री रमेशचन्द्र गर्ग पिता श्री बाबूलाल गर्ग         | अशासकीय सदस्य | हनुमान मिल के पास श्योपुर           |
| 9   | श्री धर्मेन्द्र गोतम पिता श्री मोहनलाल गोतम         | अशासकीय सदस्य | अंधेर बावड़ी श्योपुर                |
| 10  | श्री तरूण गौड़ पिता श्री तुलसीनारायण गौड़           | अशासकीय सदस्य | पोरवाल धर्मशाला के पास श्योरपुर     |
| 11  | श्री चन्द्रमोहन शर्मा पिता श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा | अशासकीय सदस्य | ग्राम सेमल्दा जिला श्योपुर          |
| 12  | श्री निसार मोहम्मद पिता श्री वली मोहम्मद            | अशासकीय सदस्य | धान मिल के पास श्योपुर              |
| 13  | श्री सुनिल गर्ग पिता श्री कैदारलाल गर्ग             | अशासकीय सदस्य | ग्राम व पोस्ट वीरपुर जिला श्योपुर   |
| 14  | श्रीमती गुड्डी बाई पति श्री भीमसेन आदिवासी          | अशासकीय सदस्य | ग्राम व पोस्ट सेसईपुरा जिला श्योपुर |
| 15  | श्री लखमीचन्द्र पिता श्री भोलूराम कुशवाह            | अशासकीय सदस्य | मण्डी विजयपुर जिला श्योपुर          |
| 16  | श्री सतेन्द्र सिंह गुर्जर पिता श्री विजयसिंह गुर्जर | अशासकीय सदस्य | ग्राम बुढेरा जिला श्योपुर           |
| 17  | श्रीमती सरोज वाजुल्ला पति श्री रामप्रसाद वाजुल्ला   | अशासकीय सदस्य | आदिवासी बस्ती आनन्द नगर श्योपुर.    |

उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रम प्रथा समाप्ति सतर्कता व निगरानी समिति उपखण्ड, श्योपुर

|   |   |               |                                 |
|---|---|---------------|---------------------------------|
| 1 | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग श्योपुर  | अध्यक्ष       | अनुविभाग श्योपुर                |
| 2 | अनुविभागीय अधिकार पुलिस अनुविभाग श्योपुर      | सदस्य         | अनुविभाग श्योपुर                |
| 3 | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, श्योपुर | सदस्य         | जनपद पंचायत, श्योपुर            |
| 4 | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कराहल   | सदस्य         | जनपद पंचायत, कराहल              |
| 5 | प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया                | सदस्य         | स्टेशन रोड, श्योपुर             |
| 6 | श्रीमती मिथिलेश तोमर                          | अशासकीय सदस्य | श्योपुर                         |
| 7 | श्री गंगाराम आदिवासी                          | अशासकीय सदस्य | ग्राम वर्धाबुजुर्ग जिला श्योपुर |
| 8 | श्री बाबू सिंह बर्मन                          | अशासकीय सदस्य | श्योपुर                         |
| 9 | श्री मुरारीलाल बाथम                           | अशासकीय सदस्य | श्योपुर                         |

उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रम प्रथा समाप्ति सतर्कता व निगरानी समिति उपखण्ड, कराहल

|   |   |               |                              |
|---|---|---------------|------------------------------|
| 1 | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग कराहल  | अध्यक्ष       | अनुविभाग कराहल               |
| 2 | थाना प्रभारी कराहल                          | सदस्य         | थाना कराहल                   |
| 3 | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कराहल | सदस्य         | जनपद पंचायत, कराहल           |
| 4 | प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया              | सदस्य         | कराहल                        |
| 5 | श्री रविन्द्र कुमार पाठक                    | अशासकीय सदस्य | ग्राम व पोस्ट कराहल          |
| 6 | श्री माना जाटव                              | अशासकीय सदस्य | ग्राम जाखदा विकासखण्ड, कराहल |
| 7 | श्री सीताराम आदिवासी                        | अशासकीय सदस्य | ग्राम ककरधा विकासखण्ड, कराहल |
| 8 | श्री दरबार मारू                             | अशासकीय सदस्य | ग्राम कराहल                  |

खण्ड स्तरीय बंधक श्रम प्रथा समाप्ति सतर्कता व निगरानी समिति उपखण्ड, विजयपुर

|   |   |               |                             |
|---|---|---------------|-----------------------------|
| 1 | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग विजयपुर  | अध्यक्ष       | अनुविभाग विजयपुर            |
| 2 | थाना प्रभारी, विजयपुर                         | सदस्य         | थाना विजयपुर                |
| 3 | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, विजयपुर | सदस्य         | जनपद पंचायत, विजयपुर        |
| 4 | प्रबन्धक, केन्द्रीय सहकारी बैंक               | सदस्य         | विजयपुर                     |
| 5 | वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी                     | सदस्य         | विकासखण्ड विजयपुर           |
| 6 | श्री भरत कुमार गर्ग                           | अशासकीय सदस्य | वार्ड क्र. 13 मण्डी विजयपुर |

| (1) | (2)                    | (3)           | (4)                                 |
|-----|------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 7   | श्री मावसिया कुशवाह    | अशासकीय सदस्य | वार्ड क्र. 14 प्रहलादपुरा, विजयपुर  |
| 8   | श्री बुद्धु सहरिया     | अशासकीय सदस्य | ग्राम चकपदोद विकासखण्ड,<br>विजयपुर. |
| 9   | श्री सुजान सिंह सहरिया | अशासकीय सदस्य | ग्राम अगरा विकासखण्ड, विजयपुर       |
| 10  | श्री देवलू राम जाटव    | अशासकीय सदस्य | ग्राम इकलोद विकासखण्ड,<br>विजयपुर.  |
| 11  | तहसीलदार विजयपुर       | सदस्य         | तहसील विजयपुर                       |

पी. एल. सोलंकी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

### कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2016

क्र. एफ-1-2-16-रा.स.-यू.ए.1-1177.—राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाध्यक्ष, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है:—

|   |                  |  |
|---|------------------|--|
| 1. प्रो. कृष्णा बिष्ट,<br>दिल्ली.                       | समिति के चेयरमेन | कुलाध्यक्ष द्वारा नामांकित                           |
| 2. प्रो. एच. पी. दीक्षित,<br>(पूर्व कुलपति),<br>जबलपुर. | समिति के सदस्य   | अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान<br>आयोग द्वारा मनोनीत. |
| 3. प्रो. पं. विद्याधर व्यास,<br>दादर,<br>मुंबई-400014.  | समिति के सदस्य   | कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित                         |

(2) कुलाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रो. कृष्णा बिष्ट को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

(3) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

कुलाध्यक्ष, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर के आदेशानुसार,  
अजय तिर्की, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.



## कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 21 सितम्बर 2016

क्र.-1433.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (संख्या 20, सन् 1959) की धारा 2 (1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ (2) में दर्शित नाम से तहसील तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

## अनुसूची

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल) | राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं. |
| (1)  | (2)                               |
| ग्राम मुआरकलॉ, प.ह. नं. 39 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल-126.704 हेक्टर            | ग्राम सीतामुआर, प.ह.नं. 39        |

क्र.-1434.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (संख्या 20, सन् 1959) की धारा 2 (1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ (2) में दर्शित नाम से तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

## अनुसूची

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल) | राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं. |
| (1)  | (2)                               |
| ग्राम माली, प.ह. नं. 41 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल-219, 191 हेक्टर              | ग्राम सिराढाना, प.ह.नं. 41        |

छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 सितम्बर 2016

रा. प्र. क्र.-04-अ-82-2015-2016-भू-अर्जन-2016.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत औद्योगिक विकास केन्द्र बोरगाँव के विस्तार हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में औद्योगिक विकास केन्द्र बोरगाँव के विस्तार हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

## अनुसूची

## भूमि का वर्णन

| जिला       | तहसील | नगर/ग्राम   | क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता | खसरा नम्बर                      | क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) | योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.                                      |
|------------|-------|---|---|---------------------------------|--|--|
| (1)        | (2)   | (3)   | (4)   | (5)                             | (6)  | (7)  |
| छिन्दवाड़ा | सौंसर | ग्राम-जामलापानी ब.नं.-155, प.ह.नं.-18/45, रा.नि.मं.-सौंसर | 1. तुकाराम पिता विठोबा तेली, निवासी-तिनखेड़ा, भूमि स्वामी.      | 272/1,<br>273,<br>275/2,<br>276 | 0.607<br>01.238<br>0.291<br>0.113                  | औद्योगिक विकास केन्द्र बोरगाँव के विस्तार हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये. |

| (1) | (2)   | (3)   | (4)     | (5) | (6) | (7) |
|-----|---|-------|---------|-----|-----|-----|
| 2.  | डोमा पिता   | 272/2 | 0.445   |     |     |     |
|     | मोतीराम तेली,<br>निवासी-तिनखेड़ा,<br>भूमि स्वामी<br>ग्राम-जामलापानी.                      | 275/1 | 0.506   |     |     |     |
| 3.  | भैयाजी पिता   | 272/3 | 0.1.052 |     |     |     |
|     | मोतीराम तेली,<br>निवासी-तिनखेड़ा,<br>भूमि स्वामी<br>ग्राम-जामलापानी.                      |       |         |     |     |     |
| 4.  | नीलकंठ पिता   | 272/4 | 0.344   |     |     |     |
|     | मोतीराम तेली,<br>निवासी-तिनखेड़ा,<br>भूमि स्वामी<br>ग्राम-जामलापानी.                      |       |         |     |     |     |
| 5.  | उकंडया पिता   | 274/1 | 01.011  |     |     |     |
|     | मारोती बुते,<br>निवासी-तिनखेड़ा,<br>भूमि स्वामी<br>ग्राम-जामलापानी.                       | 274/2 | 0.163   |     |     |     |
| 6.  | नीलकंठ पिता   | 277/2 | 0.223   |     |     |     |
|     | मारोती तेली,<br>निवासी-तिनखेड़ा,<br>भूमि स्वामी<br>ग्राम-जामलापानी.                       | 277/1 | 01.011  |     |     |     |
| 7.  | गंगूबाई पति   | 279   | 0.1.271 |     |     |     |
|     | गोपाल कुनबी,<br>निवासी-बोरगाँव,<br>भूमि स्वामी<br>ग्राम-जामलापानी.                        | 282/2 | 0.130   |     |     |     |
| 8.  | सुधाकर पिता   | 282/3 | 02.000  |     |     |     |
|     | गोपाल कुनबी,<br>निवासी-बोरगाँव<br>भूमि स्वामी<br>ग्राम-जामलापानी.                         |       |         |     |     |     |
| 9   | सुरजाबाई बेवा   | 285/1 | 01.720  |     |     |     |
|     | अमृत, अर्जुन,<br>अरविन्द पिता अमृत,<br>निवासी-बोरगाँव,<br>भूमि स्वामी<br>ग्राम-जामलापानी. |       |         |     |     |     |

| (1) | (2)                 | (3) | (4) | (5)   | (6)    | (7) |
|-----|---------------------|-----|-----|-------|--------|-----|
| 10. | इन्दुबाई बेवा       |     |     | 285/2 | 0.405  |     |
|     | शेषराव, शंकर,       |     |     | 285/3 | 01.542 |     |
|     | किसना पिता          |     |     |       |        |     |
|     | शेषराव कुनबी,       |     |     |       |        |     |
|     | निवासी-बोरगाँव,     |     |     |       |        |     |
|     | भूमि स्वामी         |     |     |       |        |     |
|     | ग्राम-जामलापानी.    |     |     |       |        |     |
| 11. | शंकर पिता           |     |     | 285/4 | 01.537 |     |
|     | शेषराव कुनबी,       |     |     |       |        |     |
|     | निवासी-बोरगाँव,     |     |     |       |        |     |
|     | भूमि स्वामी         |     |     |       |        |     |
|     | ग्राम-जामलापानी.    |     |     |       |        |     |
| 12. | खुशाल पिता          |     |     | 278   | 01.214 |     |
|     | भैयाजी ओक्टे,       |     |     |       |        |     |
|     | निवासी-बोरगाँव,     |     |     |       |        |     |
|     | भूमि स्वामी         |     |     |       |        |     |
|     | ग्राम-जामलापानी.    |     |     |       |        |     |
| 13. | देवराव पिता         |     |     | 329/1 | 0.648  |     |
|     | काशीनाथ कुनबी,      |     |     | 329/4 | 02.023 |     |
|     | निवासी-तिनखेड़ा,    |     |     |       |        |     |
|     | भूमि स्वामी         |     |     |       |        |     |
|     | ग्राम-जामलापानी.    |     |     |       |        |     |
| 14. | येनू विधवा          |     |     | 329/2 | 01.619 |     |
|     | हरिशचन्द्र, डोमाजी, |     |     |       |        |     |
|     | रामदास, विठ्ठल,     |     |     |       |        |     |
|     | गिरधारी पिता        |     |     |       |        |     |
|     | हरिशचन्द्र महार,    |     |     |       |        |     |
|     | निवासी-बोरगाँव,     |     |     |       |        |     |
|     | भूमि स्वामी         |     |     |       |        |     |
|     | ग्राम-जामलापानी.    |     |     |       |        |     |
| 15. | डोमा पिता           |     |     | 329/3 | 0.809  |     |
|     | हरिशचन्द्र महार,    |     |     |       |        |     |
|     | निवासी-बोरगाँव,     |     |     |       |        |     |
|     | भूमि स्वामी         |     |     |       |        |     |
|     | ग्राम-जामलापानी.    |     |     |       |        |     |
| 16. | मोहनलाल पिता        |     |     | 336/1 | 0.637  |     |
|     | कृष्णा, पारबती पिता |     |     |       |        |     |
|     | कृष्णा गोंड,        |     |     |       |        |     |
|     | निवासी-बोरगाँव,     |     |     |       |        |     |
|     | भूमि स्वामी,        |     |     |       |        |     |
|     | ग्राम-जामलापानी.    |     |     |       |        |     |

| (1) | (2)   | (3) | (4) | (5)            | (6) | (7)            |
|-----|---|-----|-----|----------------|-----|----------------|
| 17. | रामदास पिता<br>नामदेव गोंड,<br>निवासी-बोरगाँव,<br>भूमि स्वामी<br>ग्राम-जामलापानी.   |     |     | 336/2          |     | 0.638          |
| 18. | प्रकाश पिता<br>सोन्या गोंड,<br>निवासी-बोरगाँव,<br>भूमि स्वामी<br>ग्राम-जामलापानी.   |     |     | 341/1          |     | 01.255         |
| 19. | कंचरी पिता<br>युवराज गोंड,<br>निवासी-बोरगाँव,<br>भूमि स्वामी<br>ग्राम-जामलापानी.  |     |     | 341/2          |     | 01.254         |
| 20. | जितेन्द्र पिता<br>युवराज, सूरज,<br>महेश, निकिता ना.<br>बा. पिता युवराज मु.<br>कविता विधवा युवराज<br>निवासी-तिनखेड़ा,<br>भूमि स्वामी<br>ग्राम-जामलापानी.   |     |     | 339            |     | 0.684          |
| 21. | शेषराव पिता<br>श्रावण मेहरा,<br>निवासी-बोरगाँव,<br>भूमि स्वामी<br>ग्राम-जामलापानी.  |     |     | 292/1<br>292/3 |     | 0.811<br>0.849 |
| 22. | अनुबाई बेवा<br>ओझीनाथ उर्फ<br>बैजीनाथ, विनायक,<br>मनोहर, दौलत,<br>लिलाधर, पंचशील,<br>रेखा वंदना पिता<br>ओझीनाथ निवासी-<br>भूमि स्वामी<br>ग्राम-जामलापानी. |     |     | 292/2<br>292/4 |     | 0.810<br>0.849 |
| 23. | तुलसाबाई पति<br>कचरूवाइजी महार,<br>निवासी-बोरगाँव,<br>भूमि स्वामी<br>ग्राम-जामलापानी.   |     |     | 292/5          |     | 01.214         |

| (1)         | (2) | (3) | (4)  | (5) | (6)                    | (7) |
|-------------|-----|-----|--|-----|------------------------|-----|
|             |     |     | 24. बयाबाई विधवा<br>नामदेव गोंड,<br>निवासी-बोरगाँव,<br>भूमि स्वामी<br>ग्राम-जामलापानी. | 337 | 02.153                 |     |
| कुल योग . . |     |     |  |     | <u>33.076 हेक्टेयर</u> |     |

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप से स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 26 सितम्बर 2016

क्र. 8438.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील सारंगपुर, जिला राजगढ़ कुण्डलिया बाँध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

| ग्राम—झांझाहेड़ी |  | तहसील—सारंगपुर                             |     | जिला—राजगढ़  |     |
|------------------|--|--|-----|--------------|-----|
| क्र.             | विवरण  | अनुसूची (1)                                |     |              |     |
|                  |  | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में) |     |              |     |
| (1)              | (2)  | कुल रकबा                                   | (3) | अर्जित रकबा  | (4) |
| 1                | निजी भूमि<br>1. कुण्डलिया बाँध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से. | 3.805                                      |     | 0.027        |     |
| योग :            |  | <u>3.805</u>                               |     | <u>0.027</u> |     |

#### अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बाँध परियोजना में प्रभावित होने से

| क्र.    | कृषक का नाम व पिता/पति का नाम  | खसरा क्रमांक | भूमि का कुल रकबा |     | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा |     |
|---------|--|--------------|------------------|-----|----------------------------------|-----|
|         |  |              | कुल रकबा         | (4) | कुल रकबा                         | (5) |
| (1)     | (2)  | (3)          | (4)              | (5) | (6)                              | (7) |
| 1       | मांगीलाल पिता काना वल्लभ बाई बेवा<br>चंदरसिंह, माया बाई पुत्री चंदरसिंह, बनवारी<br>पिता चंदरसिंह ना. बा. सरपरस्त माता वल्लभ<br>बाई सर्व जाति सौधिया पता निवासी ग्राम<br>भूमि स्वामी. | 5            | 0.708            |     | 0.005                            |     |
| योग . . |  |              | <u>0.708</u>     |     | <u>0.005</u>                     |     |

| (1)        | (2)  | (3)     | (4)   | (5)   |
|------------|--|---------|-------|-------|
| 2          | रूगनाथ सिंह पिता बापूलाल भंवरीबाई बेवा<br>बापूलाल, जाति सौधिया, पता निवासी प्राग<br>भूमि स्वामी. | 6       | 0.923 | 0.005 |
| योग . .    |  |         | 0.923 | 0.005 |
| 3          | रामलाल पिता धूला, जाति सौधिया, पता<br>निवासी ग्राम भूमि स्वामी                                   | 160/1   | 1.214 | 0.007 |
| योग . .    |  |         | 1.214 | 0.007 |
| 4          | रामलाल पिता धूला, जाति सौधिया, पता<br>निवासी ग्राम भूमि स्वामी                                   | 160/6/1 | 0.120 | 0.005 |
| योग . .    |  |         | 0.120 | 0.005 |
| 5          | रामलाल पिता धूला, जाति सौधिया, पता<br>निवासी ग्राम भूमि स्वामी                                   | 163/5/1 | 0.840 | 0.005 |
| योग . .    |  |         | 0.840 | 0.005 |
| महायोग . . |  |         | 3.805 | 0.027 |

नोट.—भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी सारंगपुर कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. ए. 8439.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़ कुण्डलिया बाँध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

### अनुसूची (1)

| ग्राम—मुण्डी | विवरण   | तहसील—जीरापुर                              |         |       | जिला—राजगढ़ |
|--------------|---|--|---------|-------|-------------|
|              |   | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में) |         |       |             |
| क्र.         |   | सिंचित                                     | असिंचित | कुल   |             |
| 1            | निजी भूमि   |  |         |       |             |
|              | 1. कुण्डलिया बाँध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से. | 3.759                                      | 1.150   | 4.909 |             |
|              | योग :   | 3.759                                      | 1.150   | 4.909 |             |

### अनुसूची (2)

#### (1) कुण्डलिया बाँध परियोजना में प्रभावित होने से

| क्र.    | कृषक का नाम व पिता<br>/पति का नाम                               | खसरा क्र. | भूमि का कुल रकबा |         |          | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा |         |          |
|---------|---|-----------|------------------|---------|----------|----------------------------------|---------|----------|
|         |   |           | सिंचित           | असिंचित | कुल रकबा | सिंचित                           | असिंचित | कुल रकबा |
| (1)     | (2)   | (3)       | (4)              | (5)     | (6)      | (7)                              | (8)     | (9)      |
| 1       | भगवानसिंह पिता हरलाल, जाति गुर्जर, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 2/8       | 2.000            | 0.000   | 2.000    | 1.000                            | 0.000   | 1.000    |
| योग . . |   |           | 2.000            | 0.000   | 2.000    | 1.000                            | 0.000   | 1.000    |

| (1) | (2)  | (3)                    | (4)          | (5)          | (6)          | (7)          | (8)          | (9)          |
|-----|--|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2   | हरलाल आ. मोतीलाल, जाति गुर्जर<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी  | 3/1                    | 2.000        | 0.000        | 2.000        | 0.010        | 0.000        | 0.010        |
|     | <b>योग . .</b>   |                        | <b>2.000</b> | <b>0.000</b> | <b>2.000</b> | <b>0.010</b> | <b>0.000</b> | <b>0.010</b> |
| 3   | गंगाराम पिता भवानीसिंह, जाति गुर्जर<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी  | 9                      | 0.455        | 0.000        | 0.455        | 0.209        | 0.000        | 0.209        |
|     | <b>योग . .</b>   |                        | <b>0.455</b> | <b>0.000</b> | <b>0.455</b> | <b>0.209</b> | <b>0.000</b> | <b>0.209</b> |
| 4   | केसरीलाल आ. पन्नालाल जाति गुर्जर,<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी  | 10                     | 0.278        | 0.000        | 0.278        | 0.120        | 0.000        | 0.120        |
|     | <b>योग . .</b>   |                        | <b>0.278</b> | <b>0.000</b> | <b>0.278</b> | <b>0.120</b> | <b>0.000</b> | <b>0.120</b> |
| 5   | अमर सिंह आ. जगन्नाथ जाति गुर्जर<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी  | 11/1<br>11/1/1<br>12/1 | 0.110        | 0.000        | 0.110        | 0.011        | 0.000        | 0.011        |
|     | <b>योग . .</b>   |                        | <b>0.110</b> | <b>0.000</b> | <b>0.110</b> | <b>0.011</b> | <b>0.000</b> | <b>0.011</b> |
| 6   | लक्ष्मीनारायण पिता देवसिंह जाति<br>गुर्जर, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी  | 12/2/1<br>11/2/1       | 0.037        | 0.000        | 0.037        | 0.011        | 0.000        | 0.011        |
|     | <b>योग . .</b>   |                        | <b>0.037</b> | <b>0.000</b> | <b>0.037</b> | <b>0.011</b> | <b>0.000</b> | <b>0.011</b> |
| 7   | गंगाराम पिता भवानीसिंह, जाति गुर्जर<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी  | 13                     | 0.076        | 0.000        | 0.076        | 0.021        | 0.000        | 0.021        |
|     | <b>योग . .</b>   |                        | <b>0.076</b> | <b>0.000</b> | <b>0.076</b> | <b>0.021</b> | <b>0.000</b> | <b>0.021</b> |
| 8   | गंगाराम पिता भवानीसिंह, जाति गुर्जर,<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी   | 14                     | 0.114        | 0.000        | 0.114        | 0.080        | 0.000        | 0.080        |
|     | <b>योग . .</b>   |                        | <b>0.114</b> | <b>0.000</b> | <b>0.114</b> | <b>0.080</b> | <b>0.000</b> | <b>0.080</b> |
| 9   | शिवनारायण पिता भैरू सिंह जाति<br>गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी   | 41/1/1                 | 0.000        | 0.166        | 0.166        | 0.000        | 0.100        | 0.100        |
|     | <b>योग . .</b>   |                        | <b>0.000</b> | <b>0.166</b> | <b>0.166</b> | <b>0.000</b> | <b>0.100</b> | <b>0.100</b> |
| 10  | दयानंद पिता करण सिंह जाति गुर्जर<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी   | 41/2/1                 | 0.085        | 0.000        | 0.085        | 0.040        | 0.000        | 0.040        |
|     | <b>योग . .</b>   |                        | <b>0.085</b> | <b>0.000</b> | <b>0.085</b> | <b>0.040</b> | <b>0.000</b> | <b>0.040</b> |
| 11  | धापूबाई पत्नि नाथूसिंह जाति गुर्जर<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी   | 44/1                   | 0.387        | 0.000        | 0.387        | 0.157        | 0.000        | 0.157        |
|     | <b>योग . .</b>   |                        | <b>0.387</b> | <b>0.000</b> | <b>0.387</b> | <b>0.157</b> | <b>0.000</b> | <b>0.157</b> |
| 12  | कालूसिंह आ. नारायण गोरीलाल आ.<br>गंगाराम पुरा गुलाबासिंह आ. भंवर जी<br>जाति गुर्जर, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 44/2                   | 0.000        | 1.397        | 1.397        | 0.000        | 1.050        | 1.050        |
|     | <b>योग . .</b>   |                        | <b>0.000</b> | <b>1.397</b> | <b>1.397</b> | <b>0.000</b> | <b>1.050</b> | <b>1.050</b> |

| (1)        | (2)  | (3)    | (4)   | (5)   | (6)    | (7)   | (8)   | (9)   |
|------------|--|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 14         | गोपीलाल घनश्याम पिता नाथू जाति गुर्जर, पता निवासी ग्राम भूमि स्वागी. | 45/2/2 | 2.000 | 0.000 | 2.000  | 1.060 | 0.000 | 1.060 |
| योग . .    |  |        | 2.000 | 0.000 | 2.000  | 1.060 | 0.000 | 1.060 |
| 15         | मांगीलाल देवीलाल पिता नाथू जाति गुर्जर, पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी. | 45/2/3 | 2.000 | 0.000 | 2.000  | 1.040 | 0.000 | 1.040 |
| योग . .    |  |        | 2.000 | 0.000 | 2.000  | 1.040 | 0.000 | 1.040 |
| महायोग . . |  |        | 9.542 | 1.563 | 11.105 | 3.759 | 1.150 | 4.909 |

नोट.—भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगपुर कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8440.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया बाँध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

### अनुसूची (1)

| ग्राम—राजपुरा |  | तहसील—सारंगपुर                             |             | जिला—राजगढ़ |  |
|---------------|--|--|-------------|-------------|--|
| क्र.          | विवरण  | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में) |             |             |  |
| (1)           | (2)  | कुल रकबा                                   | अर्जित रकबा |             |  |
|               |  | (3)  | (4)         |             |  |
| 1             | निजी भूमि<br>1. कुण्डलिया बाँध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से. | 8.333                                      | 5.282       |             |  |
| योग :         |  | 8.333                                      | 5.282       |             |  |

### अनुसूची (2)

#### (1) कुण्डलिया बाँध परियोजना में प्रभावित होने से

| क्र.    | कृषक का नाम व पिता/पति का नाम   | खसरा क्रमांक | भूमि का कुल रकबा | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा |
|---------|---|--------------|------------------|----------------------------------|
| (1)     | (2)   | (3)          | (4)              | (5)                              |
| 1       | बालूसिंह, भगवानसिंह बीरमसिंह मांगु गीता कृष्णाबाई पिता परथी सिंह पूरसिंह हरिसिंह चतरू बाई शांति बाई पिता अनार सिंह मु० सरदार बाई बैवा अनार सिंह हिस्सा 1/4 जाति सौधिया भूमि स्वामी नारायण सिंह नवल सिंह मागीलाल माधु ललता बाई पिता रामलाल हिस्सा 1/4 जाति सौधिया भूमि स्वामी मनोहर सिंह दिलीपसिंह कालू सिंह रेखाबाई संजु बाई बबली बाई पिता गब्बा धनसिंह कनौराम सौरम बाई पिता देवीसिंह बदनबाई बैवा देवीसिंह हिस्सा 1/4 जाति सौधिया निवासी ग्राम पिपल्यामोची भूमि स्वामी. | 2            | 0.166            | 0.166                            |
| योग . . |   |              | 0.166            | 0.166                            |



| (1)            | (2)  | (3)        | (4)          | (5)          |
|----------------|--|------------|--------------|--------------|
| 2              | बालूसिंह, भगवानसिंह बीरमसिंह मांगु गीता<br>कृष्णाबाई पिता परथी सिंह पूरसिंह हरिसिंह चतरू<br>बाई शांतबाई पिता अनार सिंह मु० सरदार बाई<br>बैवा अनार सिंह हिस्सा 1/4 जाति सौधिया भूमि स्वामी<br>नारायण सिंह नवल सिंह मागीलाल माधु ललता<br>बाई पिता रामलाल हिस्सा 1/4 जाति सौधिया<br>भूमि स्वामी मनोहर सिंह दिलीपसिंह कालू सिंह<br>रेखाबाई संजु बाई बबली बाई पिता गब्बा<br>धनसिंह कनौराम सौरम बाई पिता देवीसिंह बदनबाई<br>बैवा देवीसिंह हिस्सा 1/4 जाति सौधिया निवासी ग्राम<br>पिपल्यामोची भूमि स्वामी | 3          | 0.061        | 0.061        |
| <b>योग . .</b> |  |            | <b>0.061</b> | <b>0.061</b> |
| 3              | बालूसिंह, भगवानसिंह बीरमसिंह मांगु गीता<br>कृष्णाबाई पिता परथी सिंह पूरसिंह हरिसिंह चतरू<br>बाई शांतबाई पिता अनार सिंह मु० सरदार बाई<br>बैवा अनार सिंह हिस्सा 1/4 जाति सौधिया भूमि स्वामी<br>नारायण सिंह नवल सिंह मागीलाल माधु ललता<br>बाई पिता रामलाल हिस्सा 1/4 जाति सौधिया<br>भूमि स्वामी मनोहर सिंह दिलीपसिंह कालू सिंह<br>रेखाबाई संजु बाई बबली बाई पिता गब्बा<br>धनसिंह कनौराम सौरम बाई पिता देवीसिंह बदनबाई<br>बैवा देवीसिंह हिस्सा 1/4 जाति सौधिया निवासी ग्राम<br>पिपल्यामोची भूमि स्वामी | 4/1<br>4/2 | 0.506        | 0.200        |
| <b>योग . .</b> |  |            | <b>0.506</b> | <b>0.200</b> |
| 4              | बालूसिंह, भगवानसिंह बीरमसिंह मांगु गीता<br>कृष्णाबाई पिता परथी सिंह पूरसिंह हरिसिंह चतरू<br>बाई शांतबाई पिता अनार सिंह मु० सरदार बाई<br>बैवा अनार सिंह हिस्सा 1/4 जाति सौधिया भूमि स्वामी<br>नारायण सिंह नवल सिंह मागीलाल माधु ललता<br>बाई पिता रामलाल हिस्सा 1/4 जाति सौधिया<br>भूमि स्वामी मनोहर सिंह दिलीपसिंह कालू सिंह<br>रेखाबाई संजु बाई बबली बाई पिता गब्बा<br>धनसिंह कनौराम सौरम बाई पिता देवीसिंह बदनबाई<br>बैवा देवीसिंह हिस्सा 1/4 जाति सौधिया निवासी ग्राम<br>पिपल्यामोची भूमि स्वामी | 5          | 0.291        | 0.271        |
| <b>योग . .</b> |  |            | <b>0.291</b> | <b>0.271</b> |
| 5              | मांगीलाल प्रेमसिंह दूलेसिंह पिता भैरूसिंह<br>जाति सौधिया निवासी ग्राम पिपल्यामोची<br>भूमि स्वामी.  | 6/1        | 0.190        | 0.140        |
| <b>योग . .</b> |  |            | <b>0.190</b> | <b>0.140</b> |
| 6              | बालूसिंह, भगवानसिंह बीरमसिंह मांगुबाई<br>गीताबाई कृष्णाबाई पिता परथी सिंह जाति<br>सौधिया निवासी ग्राम पिपल्यामोची भूमि<br>स्वामी.  | 6/2        | 0.304        | 0.254        |
| <b>योग . .</b> |  |            | <b>0.304</b> | <b>0.254</b> |

| (1)            | (2)   | (3)   | (4)          | (5)          |
|----------------|---|-------|--------------|--------------|
| 7              | मांगीलाल प्रेमसिंह दूलेसिंह पिता भैरूसिंह जाति सौधिया निवासी ग्राम पिपल्यामोची भूमि स्वामी.     | 7     | 0.024        | 0.024        |
| <b>योग . .</b> |   |       | <b>0.024</b> | <b>0.024</b> |
| 8              | हरिसिंह पिता पूरसिंह धीरप सिंह पिता अनार सिंह जाति सौधिया निवासी ग्राम पीपल्यामोची भूमि स्वामी. | 8     | 1.809        | 1.809        |
| <b>योग . .</b> |   |       | <b>1.809</b> | <b>1.809</b> |
| 9              | कमलसिंह पिता बनेसिंह जाति सौधिया निवासी ग्राम पीपल्यामोची भूमि स्वामी.                          | 9/1   | 0.631        | 0.631        |
| <b>योग . .</b> |   |       | <b>0.631</b> | <b>0.631</b> |
| 10             | भगवान सिंह पिता मदन सिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम पीपल्यामोची भूमि स्वामी.                  | 9/2/1 | 0.168        | 0.168        |
| <b>योग . .</b> |   |       | <b>0.168</b> | <b>0.168</b> |
| 11             | सुल्तान सिंह पिता मदन सिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम पीपल्यामोची भूमि स्वामी.                | 9/2/2 | 0.169        | 0.169        |
| <b>योग . .</b> |   |       | <b>0.169</b> | <b>0.169</b> |
| 12             | नरभै सिंह पिता मदन सिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम पीपल्यामोची भूमि स्वामी.                   | 9/2/3 | 0.169        | 0.169        |
| <b>योग . .</b> |   |       | <b>0.169</b> | <b>0.169</b> |
| 13             | मांगीलाल प्रेमसिंह दूलेसिंह पिता भैरूसिंह जाति सौधिया निवासी ग्राम पिपल्यामोची भूमि स्वामी.     | 9/4   | 1.453        | 0.400        |
| <b>योग . .</b> |   |       | <b>1.453</b> | <b>0.400</b> |
| 14             | हरिसिंह पिता पूरसिंह धीरप सिंह पिता अनार सिंह जाति सौधिया निवासी ग्राम पीपल्यामोची भूमि स्वामी. | 23    | 2.149        | 0.650        |
| <b>योग . .</b> |   |       | <b>2.149</b> | <b>0.650</b> |

| (1)            | (2)  | (3)  | (4)          | (5)          |
|----------------|--|------|--------------|--------------|
| 15             | मांगीलाल प्रेमसिंह दूलेसिंह पिता भैरूसिंह जाति सौधिया निवासी ग्राम पीपल्यामोची भूमिस्वामी. | 29/2 | 0.243        | 0.170        |
| <b>योग . .</b> |  |      | <b>0.243</b> | <b>0.170</b> |

**नोट.**—भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगपुर कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र.क्र. ए-8441.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया बाँध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

### अनुसूची (1)

ग्राम—नादंजीजागीर

तहसील—जीरापुर

जिला—राजगढ़

| क्र.         | विवरण  | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में) |                    |
|--------------|--|--|--------------------|
|              |  | कुल रकबा<br>(3)                            | अर्जित रकबा<br>(4) |
| (1)          | (2)  |  |                    |
| 1            | निजी भूमि<br>1. कुण्डलिया बाँध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से. | 36.259                                     | 31.115             |
| <b>योग :</b> |  | <b>36.259</b>                              | <b>31.115</b>      |

### अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बाँध परियोजना में प्रभावित होने से

| क्र.           | कृषक का नाम व पिता/पति का नाम  | खसरा क्रमांक<br>(3) | भूमि का कुल रकबा | अर्जित की जाने वाली |
|----------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|                |  |                     | कुल रकबा<br>(4)  | कुल रकबा<br>(5)     |
| (1)            | (2)  |                     |                  |                     |
| 1              | सिद्धनाथ ओमप्रकाश पिता बद्रीलाल काशीबाई बैवा बंशीलाल जाति तैली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी. | 2/1/1               | 0.505            | 0.505               |
| <b>योग :</b>   |  |                     | <b>0.505</b>     | <b>0.505</b>        |
| 2              | शंकरलाल पिता मांगीलाल जाति तैली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                                | 2/1/1/2             | 0.506            | 0.506               |
| <b>योग :</b>   |  |                     | <b>0.506</b>     | <b>0.506</b>        |
| 3              | बद्रीलाल पिता मांगीलाल जाति तैली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी                                | 2/1/1/3             | 0.506            | 0.506               |
| <b>योग :</b>   |  |                     | <b>0.506</b>     | <b>0.506</b>        |
| 4              | मदनलाल पिता मांगीलाल तैली जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                                 | 2/1/1/4             | 0.506            | 0.506               |
| <b>योग . .</b> |  |                     | <b>0.506</b>     | <b>0.506</b>        |

| (1)     | (2)  | (3)     | (4)   | (5)   |
|---------|--|---------|-------|-------|
| 5       | रामचंद्र पिता मांगीलाल जाति तैली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                 | 2/1/1/5 | 0.506 | 0.506 |
| योग . . |  |         | 0.506 | 0.506 |
| 6       | रामचंद्र पिता मानसिंह जाति तैली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                  | 2/2     | 2.529 | 2.529 |
| योग . . |  |         | 2.529 | 2.529 |
| 7       | बापूलाल पिता घीसा जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                     | 2/3/1   | 1.265 | 1.265 |
| योग . . |  |         | 1.265 | 1.265 |
| 8       | चंद्र पिता घीसा जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                       | 2/3/2   | 1.264 | 1.264 |
| योग . . |  |         | 1.264 | 1.264 |
| 9       | बालू पिता नारायण जाति तैली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                       | 2/4/1/1 | 0.765 | 0.765 |
| योग . . |  |         | 0.765 | 0.765 |
| 10      | रामप्रसाद पिता नारायण जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                 | 2/4/1/2 | 0.764 | 0.764 |
| योग . . |  |         | 0.764 | 0.764 |
| 11      | भंवरलाल पिता दरयाव गीताबाई बैवा दरयाव जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी. | 2/4/2/1 | 0.500 | 0.500 |
| योग . . |  |         | 0.500 | 0.500 |
| 12      | फत्ता पिता दरयाव जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                      | 2/4/2/2 | 0.500 | 0.500 |
| योग . . |  |         | 0.500 | 0.500 |
| 13      | गीताबाई रम्भाबाई पिता माधु बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                 | 2/5     | 2.529 | 2.529 |
| योग . . |  |         | 2.529 | 2.529 |
| 14      | रामलाल पिता कंवरलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                    | 3/5/1   | 1.265 | 0.625 |
| योग . . |  |         | 1.265 | 0.625 |

| (1) | (2)  | (3)            | (4)          | (5)          |
|-----|--|----------------|--------------|--------------|
| 15  | रामचंद्र पिता हरीसिंह जाति अहीर पता<br>निवासी ग्राम भूमि स्वामी. | 3/5/2          | 0.632        | 0.308        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.632</b> | <b>0.308</b> |
| 16  | भंवरलाल पिता देव्या जाति चमार पता<br>निवासी ग्राम भूमि स्वामी.   | 13/1/1/1       | 0.126        | 0.126        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.126</b> | <b>0.126</b> |
| 17  | भंवरलाल पिता देव्या जाति चमार पता<br>निवासी ग्राम भूमि स्वामी.   | 13/1/1/2       | 0.126        | 0.126        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.126</b> | <b>0.126</b> |
| 18  | बंशीलाल पिता शंकर जाति चमार पता<br>निवासी ग्राम भूमि स्वामी.     | 13/1/2/1       | 0.316        | 0.316        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.316</b> | <b>0.316</b> |
| 19  | रमेश पिता दैव्या जाति चमार पता<br>निवासी ग्राम भूमि स्वामी.      | 13/1/1/3       | 0.126        | 0.126        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.126</b> | <b>0.126</b> |
| 20  | रामचंद्र पिता दैव्या जाति चमार पता<br>निवासी ग्राम भूमि स्वामी.  | 13/1/1/4       | 0.126        | 0.126        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.126</b> | <b>0.126</b> |
| 21  | बद्रीलाल पिता दैव्या जाति चमार पता<br>निवासी ग्राम भूमि स्वामी.  | 13/1/1/5       | 0.128        | 0.128        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.128</b> | <b>0.128</b> |
| 22  | कन्हैया पिता शंकर जाति चमार पता<br>निवासी ग्राम भूमि स्वामी.     | 13/1/2/2       | 0.317        | 0.317        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.317</b> | <b>0.317</b> |
| 23  | भंवरलाल पिता दैव्या जाति चमार पता<br>निवासी ग्राम भूमि स्वामी.   | 16/1/1/1       | 0.277        | 0.277        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.277</b> | <b>0.277</b> |
| 24  | कंवरलाल पिता दैव्या जाति चमार पता<br>निवासी ग्राम भूमि स्वामी.   | 16/1/1/2       | 0.277        | 0.277        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.277</b> | <b>0.277</b> |
| 25  | रमेश पिता दैव्या जाति चमार<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.      | 16/1/1/2       | 0.277        | 0.277        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.277</b> | <b>0.277</b> |
| 26  | रामचंद्र पिता दैव्या जाति चमार पता<br>निवासी ग्राम भूमि स्वामी.  | 16/1/1/4       | 0.277        | 0.277        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.277</b> | <b>0.277</b> |

| (1) | (2)   | (3)            | (4)          | (5)          |
|-----|---|----------------|--------------|--------------|
| 27  | बद्रीलाल पिता दैव्या जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.        | 16/1/1/5       | 0.277        | 0.277        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>0.277</b> | <b>0.277</b> |
| 28  | बंशीलाल पिता शंकर जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.           | 16/1/2/1       | 0.193        | 0.193        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>0.193</b> | <b>0.193</b> |
| 29  | कन्हैया पिता शंकर जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.           | 16/1/2/2       | 0.193        | 0.193        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>0.193</b> | <b>0.193</b> |
| 30  | कुमेर सिंह पिता चांदसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.  | 16/2           | 2.023        | 2.023        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>2.023</b> | <b>2.023</b> |
| 31  | कालूसिंह पिता कुमेर सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.  | 16/3           | 2.023        | 2.023        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>2.023</b> | <b>2.023</b> |
| 32  | दुरजनसिंह पिता कुमेर सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी. | 16/4           | 2.023        | 2.023        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>2.023</b> | <b>2.023</b> |
| 33  | भंवरलाल पिता गंगाराम जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.       | 19/1<br>20/1   | 0.395        | 0.395        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>0.395</b> | <b>0.395</b> |
| 34  | कंवरलाल पिता गंगाराम जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.       | 19/2           | 0.395        | 0.395        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>0.395</b> | <b>0.395</b> |
| 35  | नाथूलाल पिता गंगाराम जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.       | 19/3<br>20/3   | 0.395        | 0.395        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>0.395</b> | <b>0.395</b> |
| 36  | बद्रीलाल पिता गंगाराम जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.      | 19/4<br>20/4   | 0.395        | 0.395        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>0.395</b> | <b>0.395</b> |
| 37  | भंवरलाल पिता गंगाराम जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.       | 17/1           | 0.121        | 0.121        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>0.121</b> | <b>0.121</b> |

| (1) | (2)  | (3)            | (4)          | (5)          |
|-----|--|----------------|--------------|--------------|
| 38  | कंवरलाल पिता गंगाराम जाति बागरी<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.   | 17/2           | 0.120        | 0.120        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.120</b> | <b>0.120</b> |
| 39  | नाथूलाल पिता गंगाराम जाति बागरी<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.   | 17/3           | 0.120        | 0.120        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.120</b> | <b>0.120</b> |
| 40  | बद्रीलाल पिता गंगाराम जाति बागरी<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.  | 17/4           | 0.120        | 0.120        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.120</b> | <b>0.120</b> |
| 41  | भंवरलाल पिता पन्नालाल जाति चमार<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.   | 11/3/1         | 1.227        | 0.626        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>1.227</b> | <b>0.626</b> |
| 42  | रामचन्द्र पिता पन्नालाल जाति चमार<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी. | 11/3/2         | 1.226        | 0.627        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>1.226</b> | <b>0.627</b> |
| 43  | भागीरथ पिता पन्नालाल जाति चमार<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.    | 11/3/3         | 1.227        | 0.627        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>1.227</b> | <b>0.627</b> |
| 44  | भंवरलाल पिता गंगाराम जाति बागरी<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.   | 18/1           | 1.084        | 0.774        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>1.084</b> | <b>0.774</b> |
| 45  | कंवरलाल पिता गंगाराम जाति बागरी<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.   | 18/2           | 1.084        | 0.774        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>1.084</b> | <b>0.774</b> |
| 46  | नाथूलाल पिता गंगाराम जाति बागरी<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.   | 18/3           | 1.084        | 0.774        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>1.084</b> | <b>0.774</b> |
| 47  | भंवरलाल पिता गंगाराम जाति बागरी<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.   | 21/1/1         | 1.037        | 0.727        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>1.037</b> | <b>0.727</b> |
| 48  | कंवरलाल पिता गंगाराम जाति बागरी<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.   | 21/3<br>21/4   | 0.810        | 0.500        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.810</b> | <b>0.500</b> |

| (1)        | (2)  | (3)          | (4)    | (5)    |
|------------|--|--------------|--------|--------|
| 49         | बद्रीलाल पिता गंगाराम जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी. | 21/5<br>21/6 | 1.000  | 0.480  |
| योग . .    |  |              | 1.000  | 0.480  |
| 50         | नाथूलाल पिता गंगाराम जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.  | 21/8         | 0.772  | 0.462  |
| योग . .    |  |              | 0.772  | 0.462  |
| महायोग . . |  |              | 36.259 | 31.115 |

नोट.—भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी सारंगपुर कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8442.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया बाँध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

### अनुसूची (1)

| ग्राम—बुढ़नपुर |  | तहसील—सारंगपुर                                 |             | जिला—राजगढ़ |  |
|----------------|--|--|-------------|-------------|--|
| क्र.           | विवरण  | अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे. में) |             |             |  |
|                |  | कुल रकबा                                       | अर्जित रकबा |             |  |
| (1)            | (2)  | (3)  | (4)         |             |  |
| 1              | निजी भूमि<br>1. कुण्डलिया बाँध परियोजना के निर्माण में डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से. | 58.311   | 45.317      |             |  |
| योग :          |  | 58.311   | 45.317      |             |  |

### अनुसूची (2)

#### (1) कुण्डलिया बाँध परियोजना में प्रभावित होने से

| क्र.    | कृषक का नाम व पिता/पति का नाम   | खसरा क्रमांक | भूमि का कुल रकबा | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा |
|---------|---|--------------|------------------|----------------------------------|
| (1)     | (2)   | (3)          | (4)              | (5)                              |
| 1       | नारायणसिंह पीरूसिंह पिता चन्द्रसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी. | 322/9        | 2.529            | 2.529                            |
| योग . . |   |              | 2.529            | 2.529                            |
| 2       | दरियावसिंह पिता रामसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.             | 322/10/1     | 1.265            | 1.265                            |
| योग . . |   |              | 1.265            | 1.265                            |



| (1) | (2)   | (3)            | (4)          | (5)          |
|-----|---|----------------|--------------|--------------|
| 3   | दरियावसिंह पिता रामसिंह<br>जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.            | 322/11/1       | 0.506        | 0.506        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>0.506</b> | <b>0.506</b> |
| 4   | गोपालसिंह पिता गंगाराम<br>जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.             | 322/10/2       | 1.265        | 1.265        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>1.265</b> | <b>1.265</b> |
| 5   | कालू पिता मोतीलाल<br>जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी                      | 326/1          | 0.442        | 0.200        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>0.442</b> | <b>0.200</b> |
| 6   | मांगीलाल पिता किशनलाल<br>जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी                  | 326/2          | 0.442        | 0.200        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>0.442</b> | <b>0.200</b> |
| 7   | केंवरलाल पिता गंगाराम<br>जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी                  | 326/3          | 0.222        | 0.150        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>0.222</b> | <b>0.150</b> |
| 8   | भेरूलाल पिता गंगाराम<br>जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी                   | 326/4          | 0.221        | 0.150        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>0.221</b> | <b>0.150</b> |
| 9   | नारायणसिंह पीरूसिंह पिता चंदर सिंह<br>जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी. | 327/1<br>327/2 | 1.962        | 1.962        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>1.962</b> | <b>1.962</b> |
| 10  | नारायणसिंह पीरूसिंह पिता चंदर सिंह<br>जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी. | 328            | 0.447        | 0.447        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>0.447</b> | <b>0.447</b> |
| 11  | नारायणसिंह पीरूसिंह पिता चंदर सिंह<br>जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी. | 329            | 0.179        | 0.179        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>0.179</b> | <b>0.179</b> |
| 12  | कालू पिता मोतीलाल<br>जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                     | 330/1<br>334/1 | 0.797        | 0.797        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>0.797</b> | <b>0.797</b> |

| (1) | (2)   | (3)            | (4)          | (5)          |
|-----|---|----------------|--------------|--------------|
| 13  | मांगीलाल पिता किशनलाल<br>जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.       | 330/2<br>334/2 | 0.797        | 0.797        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>0.797</b> | <b>0.797</b> |
| 14  | कंवरलाल पिता गंगाराम<br>जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.        | 330/3<br>334/3 | 0.398        | 0.398        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>0.398</b> | <b>0.398</b> |
| 15  | भेरूलाल पिता गंगाराम<br>जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.        | 330/4<br>334/4 | 0.399        | 0.399        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>0.399</b> | <b>0.399</b> |
| 16  | नारायण पिता अमरा जाति चमार  | 331            | 0.733        | 0.733        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>0.733</b> | <b>0.733</b> |
| 17  | राजूबाई पिता पन्नालाल<br>जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.    | 332/1          | 0.027        | 0.027        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>0.027</b> | <b>0.027</b> |
| 18  | होकम बाई पिता शिवसिंह<br>जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.    | 332/2          | 0.027        | 0.027        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>0.027</b> | <b>0.027</b> |
| 19  | रूगनाथ सिंह पिता धनसिंह<br>जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.  | 332/3          | 0.028        | 0.028        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>0.028</b> | <b>0.028</b> |
| 20  | भगवानसिंह पिता धनसिंह<br>जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.    | 332/4          | 0.028        | 0.028        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>0.028</b> | <b>0.028</b> |
| 21  | प्रेमकबाई पति ईश्वर सिंह<br>जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी. | 332/5          | 0.028        | 0.028        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>0.028</b> | <b>0.028</b> |
| 22  | कालूसिंह पिता मोतीलाल<br>जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.       | 333<br>335/1   | 0.507        | 0.507        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>0.507</b> | <b>0.507</b> |

| (1) | (2)   | (3)                     | (4)          | (5)          |
|-----|---|-------------------------|--------------|--------------|
| 23  | मांगीलाल पिता किशनलाल<br>जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.   | 333/2<br>335/2          | 0.505        | 0.505        |
|     |   | <b>योग . .</b>          | <b>0.505</b> | <b>0.505</b> |
| 24  | कंवरलाल पिता गंगाराम<br>जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.  | 333/3<br>335/3          | 0.253        | 0.253        |
|     |   | <b>योग . .</b>          | <b>0.253</b> | <b>0.253</b> |
| 25  | भैरूसिंह कालूसिंह विक्रमसिंह पिता देवसिंह<br>देवबाई बेवा देवीसिंह जाति भील<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी. | 336                     | 1.137        | 1.137        |
|     |   | <b>योग . .</b>          | <b>1.137</b> | <b>1.137</b> |
| 26  | भैरूसिंह कालूसिंह विक्रमसिंह पिता देवसिंह<br>देवबाई बेवा देवीसिंह जाति भील<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी. | 337                     | 0.571        | 0.571        |
|     |   | <b>योग . .</b>          | <b>0.571</b> | <b>0.571</b> |
| 27  | कालू भगवानसिंह पिता गंगाराम<br>अनोखबाई बेवा गंगाराम जाति नायक<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.              | 338/1                   | 0.091        | 0.091        |
|     |   | <b>योग . .</b>          | <b>0.091</b> | <b>0.091</b> |
| 28  | भारतसिंह शंभुसिंह पिता रामसिंह जाति<br>नायक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                                   | 338/2                   | 0.091        | 0.091        |
|     |   | <b>योग . .</b>          | <b>0.091</b> | <b>0.091</b> |
| 29  | भैरूसिंह कालूसिंह विक्रमसिंह पिता देवसिंह<br>देवीसिंह जाति भील पता निवासी<br>ग्राम भूमि स्वामी.             | 339                     | 0.202        | 0.202        |
|     |   | <b>योग . .</b>          | <b>0.202</b> | <b>0.202</b> |
| 30  | कालू भगवानसिंह पिता गंगाराम<br>अनोखबाई बेवा गंगाराम जाति नायक<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.              | 341/1<br>342<br>343/1/1 | 0.214        | 0.214        |
|     |   | <b>योग . .</b>          | <b>0.214</b> | <b>0.214</b> |
| 31  | कालू सिंह भगवानसिंह पिता गंगाराम<br>अनोखबाई बेवा गंगाराम<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                   | 341/2<br>342<br>343/1/2 | 0.213        | 0.213        |
|     |   | <b>योग . .</b>          | <b>0.213</b> | <b>0.213</b> |

| (1) | (2)  | (3)                     | (4)          | (5)          |
|-----|--|-------------------------|--------------|--------------|
| 32  | भारतसिंह शंभुसिंह पिता रामसिंह जाति<br>नायक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                      | 341/3<br>343/1/2        | 0.214        | 0.214        |
|     |  | <b>योग . .</b>          | <b>0.214</b> | <b>0.214</b> |
| 33  | इंदरसिंह पिता भंवरलाल जाति<br>नायक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                               | 341/4<br>342<br>343/1/3 | 0.213        | 0.213        |
|     |  | <b>योग . .</b>          | <b>0.213</b> | <b>0.213</b> |
| 34  | बालूसिंह पवनसिंह पिता देवीसिंह जाति<br>नायक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                      | 341/5<br>343/1/5<br>342 | 0.214        | 0.214        |
|     |  | <b>योग . .</b>          | <b>0.214</b> | <b>0.214</b> |
| 35  | भारतसिंह शंभुसिंह पिता रामसिंह जाति<br>नायक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                      | 341/6<br>342<br>343/1/6 | 0.213        | 0.213        |
|     |  | <b>योग . .</b>          | <b>0.213</b> | <b>0.213</b> |
| 36  | इंदरसिंह पिता भंवरलाल जाति<br>नायक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                               | 341/8<br>342<br>343/1   | 0.427        | 0.427        |
|     |  | <b>योग . .</b>          | <b>0.427</b> | <b>0.427</b> |
| 37  | कालू भगवानसिंह पिता गंगाराम<br>अनोखबाई बेवा गंगाराम जाति नायक<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी. | 343/2/1<br>322/5/2      | 0.671        | 0.671        |
|     |  | <b>योग . .</b>          | <b>0.671</b> | <b>0.671</b> |
| 38  | भारतसिंह शंभुसिंह पिता रामसिंह जाति<br>नायक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                      | 343/2/2<br>322/5/12     | 0.671        | 0.671        |
|     |  | <b>योग . .</b>          | <b>0.671</b> | <b>0.671</b> |
| 39  | बालूसिंह पवनसिंह पिता देवीसिंह जाति<br>नायक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                      | 343/2/3<br>322/5/12     | 0.671        | 0.671        |
|     |  | <b>योग . .</b>          | <b>0.671</b> | <b>0.671</b> |
| 40  | इंदरसिंह पिता भंवरलाल जाति<br>नायक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                               | 343/2/4<br>322/5/12/4   | 0.671        | 0.671        |
|     |  | <b>योग . .</b>          | <b>0.671</b> | <b>0.671</b> |
| 41  | बापूलाल पिता अमरा जाति चमार<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                                   | 344/2                   | 0.822        | 0.822        |
|     |  | <b>योग . .</b>          | <b>0.822</b> | <b>0.822</b> |

| (1) | (2)  | (3)   | (4)            | (5)          |
|-----|--|-------|----------------|--------------|
| 42  | ईश्वर सिंह पिता कालूसिंह ना. बा. सर. माता<br>गीताबाई पति कालूसिंह जाति सौधिया<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी. | 349   | 0.733          | 0.733        |
|     |  |       | <b>योग . .</b> | <b>0.733</b> |
| 43  | भेरूसिंह पिता कालूसिंह जाति सौधिया<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.  | 350/1 | 0.274          | 0.274        |
|     |  |       | <b>योग . .</b> | <b>0.274</b> |
| 44  | ईश्वरसिंह पिता कालूसिंह जाति<br>सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.   | 350/2 | 0.274          | 0.274        |
|     |  |       | <b>योग . .</b> | <b>0.274</b> |
| 45  | देवीसिंह पिता कालूसिंह जाति<br>सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.  | 350/3 | 0.274          | 0.274        |
|     |  |       | <b>योग . .</b> | <b>0.274</b> |
| 46  | बबीताबाई पिता दुलेसिंह पति ईश्वरसिंह<br>जाति सौधिया पता निवासी ग्राम<br>भूमि स्वामी.                           | 351   | 0.227          | 0.227        |
|     |  |       | <b>योग . .</b> | <b>0.227</b> |
| 47  | कालू भगवानसिंह पिता गंगाराम<br>अनोखबाई बेवा गंगाराम जाति नायक<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                 | 352/1 | 0.088          | 0.088        |
|     |  |       | <b>योग . .</b> | <b>0.088</b> |
| 48  | भारतसिंह शंभुसिंह पिता रामसिंह जाति<br>नायक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                                      | 352/2 | 0.088          | 0.088        |
|     |  |       | <b>योग . .</b> | <b>0.088</b> |
| 49  | बालूसिंह पवनसिंह पिता देवीसिंह जाति<br>नायक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                                      | 352/3 | 0.088          | 0.088        |
|     |  |       | <b>योग . .</b> | <b>0.088</b> |
| 50  | इंदरसिंह पिता भंवरलाल जाति<br>नायक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.   | 352/4 | 0.088          | 0.088        |
|     |  |       | <b>योग . .</b> | <b>0.088</b> |
| 51  | भंवरलाल पिता बापूलाल द्रोपती बाई<br>पति बापूलाल जाति भील पता<br>निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                      | 354   | 0.291          | 0.291        |
|     |  |       | <b>योग . .</b> | <b>0.291</b> |

| (1) | (2)  | (3)            | (4)          | (5)          |
|-----|--|----------------|--------------|--------------|
| 52  | विक्रमसिंह पिता कालू सिंह जाति सौधिया<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी. | 355/1          | 0.215        | 0.215        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.215</b> | <b>0.215</b> |
| 53  | लालसिंह पिता कालू सिंह जाति सौधिया<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.    | 355/2          | 0.215        | 0.215        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.215</b> | <b>0.215</b> |
| 54  | विक्रमसिंह पिता कालू सिंह जाति सौधिया<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी. | 356/1          | 0.069        | 0.069        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.069</b> | <b>0.069</b> |
| 55  | लालसिंह पिता कालू सिंह जाति सौधिया<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.    | 356/2          | 0.069        | 0.069        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.069</b> | <b>0.069</b> |
| 56  | लालसिंह पिता कालू सिंह जाति सौधिया<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.    | 357/2          | 0.026        | 0.026        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.026</b> | <b>0.026</b> |
| 57  | विक्रमसिंह पिता कालू सिंह जाति सौधिया<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी. | 358/1          | 0.259        | 0.259        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.259</b> | <b>0.259</b> |
| 58  | विक्रमसिंह पिता कालू सिंह जाति सौधिया<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी. | 359/1          | 0.113        | 0.113        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.113</b> | <b>0.113</b> |
| 59  | लालसिंह पिता कालू सिंह जाति सौधिया<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.    | 358/2          | 0.259        | 0.259        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.259</b> | <b>0.259</b> |
| 60  | विक्रमसिंह पिता कालू सिंह जाति सौधिया<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी. | 359/1          | 0.113        | 0.113        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.113</b> | <b>0.113</b> |
| 61  | विक्रमसिंह पिता कालू सिंह जाति सौधिया<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी. | 361/1          | 0.076        | 0.076        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.076</b> | <b>0.076</b> |
| 62  | पूरसिंह पिता कालू सिंह जाति सौधिया<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.    | 361/2          | 0.075        | 0.075        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.075</b> | <b>0.075</b> |
| 63  | लालसिंह पिता कालू सिंह जाति सौधिया<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.    | 361/3          | 0.076        | 0.076        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.076</b> | <b>0.076</b> |

| (1) | (2)  | (3)            | (4)            | (5)          |
|-----|--|----------------|----------------|--------------|
| 64  | विक्रमसिंह पिता कालू सिंह जाति सौधिया<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.   | 362/1          | 0.008          | 0.008        |
|     |  |                | <b>योग . .</b> | <b>0.008</b> |
| 65  | पूरसिंह पिता कालू सिंह जाति सौधिया<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.  | 362/2          | 0.008          | 0.008        |
|     |  |                | <b>योग . .</b> | <b>0.008</b> |
| 66  | लालसिंह पिता कालू सिंह जाति सौधिया<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.  | 362/3          | 0.008          | 0.008        |
|     |  |                | <b>योग . .</b> | <b>0.008</b> |
| 67  | विक्रमसिंह पिता कालू सिंह जाति सौधिया<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.   | 363/1<br>364/1 | 0.008          | 0.008        |
|     |  |                | <b>योग . .</b> | <b>0.008</b> |
| 68  | पूरसिंह पिता कालू सिंह जाति सौधिया<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.  | 364/2          | 0.060          | 0.060        |
|     |  |                | <b>योग . .</b> | <b>0.060</b> |
| 69  | लालसिंह पिता कालू सिंह जाति सौधिया<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.  | 363/3          | 0.008          | 0.008        |
|     |  |                | <b>योग . .</b> | <b>0.008</b> |
| 70  | लालसिंह पिता कालू सिंह जाति सौधिया<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.  | 364/3          | 0.059          | 0.059        |
|     |  |                | <b>योग . .</b> | <b>0.059</b> |
| 71  | विक्रमसिंह पिता कालू सिंह जाति सौधिया<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.   | 367/1          | 0.064          | 0.064        |
|     |  |                | <b>योग . .</b> | <b>0.064</b> |
| 72  | पूरसिंह पिता कालू सिंह जाति सौधिया<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.  | 367/2          | 0.064          | 0.064        |
|     |  |                | <b>योग . .</b> | <b>0.064</b> |
| 73  | लालसिंह पिता कालू सिंह जाति सौधिया<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.  | 367/3          | 0.063          | 0.063        |
|     |  |                | <b>योग . .</b> | <b>0.063</b> |
| 74  | कलाराम रामबाबू पिता भंवरलाल<br>शैतानबाई बेवा भंवरलाल जाति<br>रेवारी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                                      | 368            | 0.417          | 0.417        |
|     |  |                | <b>योग . .</b> | <b>0.417</b> |
| 75  | हिराबाई बेवा हिन्दू सिंह चंदर सिंह<br>विक्रमसिंह कमलसिंह यशोदा नर्मदा<br>पिता हिन्दू सिंह जाति रेवारी<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी. | 369            | 0.429          | 0.429        |
|     |  |                | <b>योग . .</b> | <b>0.429</b> |

| (1) | (2)  | (3)     | (4)   | (5)   |
|-----|--|---------|-------|-------|
| 76  | हिराबाई बेवा हिन्दू सिंह चंदर सिंह<br>विक्रमसिंह कमलसिंह यशोदा नर्मदा<br>पिता हिन्दू सिंह जाति रेवारी<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी. | 370     | 0.065 | 0.065 |
|     |  | योग . . | 0.065 | 0.065 |
| 77  | दूलेसिंह पिता कालू सिंह जाति रेवारी<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.   | 372/2   | 0.178 | 0.025 |
|     |  | योग . . | 0.178 | 0.025 |
| 78  | हरिसिंह पिता गणपत जाति रेवारी<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.   | 373/1   | 0.105 | 0.010 |
|     |  | योग . . | 0.105 | 0.010 |
| 79  | विक्रमसिंह पिता हिन्दूसिंह जाति रेवारी<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.  | 373/2   | 0.105 | 0.010 |
|     |  | योग . . | 0.105 | 0.010 |
| 80  | कमलसिंह पिता हिन्दूसिंह जाति रेवारी<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.   | 373/3   | 0.105 | 0.010 |
|     |  | योग . . | 0.105 | 0.010 |
| 81  | दूलेसिंह पिता कालू सिंह जाति रेवारी<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.   | 374     | 0.089 | 0.020 |
|     |  | योग . . | 0.089 | 0.020 |
| 82  | दूलेसिंह पिता कालू सिंह जाति रेवारी<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.   | 375     | 0.759 | 0.350 |
|     |  | योग . . | 0.759 | 0.350 |
| 83  | जगन्नाथसिंह पिता कालूसिंह जाति रेवारी<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.   | 376     | 0.239 | 0.020 |
|     |  | योग . . | 0.239 | 0.020 |
| 84  | जगन्नाथसिंह पिता कालूसिंह जाति रेवारी<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.   | 377     | 0.166 | 0.025 |
|     |  | योग . . | 0.166 | 0.025 |
| 85  | बूलीबाई पति कलाजी धीरपसिंह ईश्वरसिंह<br>रामेश्वर पिता कलाजी जाति रेवारी<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                               | 378     | 0.133 | 0.025 |
|     |  | योग . . | 0.133 | 0.025 |
| 86  | ज्वालागिर पिता करणगिर जाति गुसाई<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.  | 431     | 0.024 | 0.024 |
|     |  | योग . . | 0.024 | 0.024 |



| (1) | (2)  | (3)            | (4)          | (5)          |
|-----|--|----------------|--------------|--------------|
| 87  | ज्वालागिर पिता करणगिर जाति गुसाई<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.  | 432            | 0.077        | 0.077        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.077</b> | <b>0.077</b> |
| 88  | अम्बागिर पिता गंगागिर जाति गुसाई<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.  | 433            | 0.138        | 0.100        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.138</b> | <b>0.100</b> |
| 89  | अम्बागिर पिता गंगागिर जाति गुसाई<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.  | 434            | 0.214        | 0.214        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.214</b> | <b>0.214</b> |
| 90  | प्रेमगिर पिता कालूगिर जाति गुसाई<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.  | 435            | 0.125        | 0.050        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.125</b> | <b>0.050</b> |
| 91  | प्रेमगिर पिता कालूगिर जाति गुसाई<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.  | 436/2          | 0.200        | 0.024        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.200</b> | <b>0.024</b> |
| 92  | उमरावसिंह गोकूलसिंह पिता भगवानसिंह<br>चतरबाई बेवा भगवानसिंह जाति सौधिया<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी. | 438            | 0.845        | 0.845        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.845</b> | <b>0.845</b> |
| 93  | मानसिंह पिता देवजी जाति राजपूत<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.  | 439            | 0.244        | 0.244        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.244</b> | <b>0.244</b> |
| 94  | विक्रमसिंह पिता कालू सिंह जाति सौधिया<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                                   | 440/1          | 0.158        | 0.158        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.158</b> | <b>0.158</b> |
| 95  | लालसिंह पिता कालू सिंह जाति सौधिया<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                                      | 440/2          | 0.158        | 0.158        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.158</b> | <b>0.158</b> |
| 96  | देवीसिंह बट्टीलाल बालूसिंह पिता शिवसिंह<br>जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                        | 442/1<br>442/2 | 1.772        | 0.300        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>1.772</b> | <b>0.300</b> |
| 97  | विक्रमसिंह पिता कालू सिंह जाति सौधिया<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                                   | 443/1<br>444/1 | 1.130        | 0.150        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.130</b> | <b>0.150</b> |
| 98  | पूरसिंह पिता कालू सिंह जाति सौधिया<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                                      | 443/2          | 0.759        | 0.200        |
|     |  | <b>योग . .</b> | <b>0.759</b> | <b>0.200</b> |

| (1) | (2)   | (3)            | (4)          | (5)          |
|-----|---|----------------|--------------|--------------|
| 99  | लालसिंह पिता कालूसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                                   | 443/3          | 0.980        | 0.200        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>0.980</b> | <b>0.200</b> |
| 100 | लालसिंह पिता कालू सिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                                  | 444/2          | 0.150        | 0.050        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>0.150</b> | <b>0.050</b> |
| 101 | पूरसिंह पिता कालूसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                                   | 444/3          | 0.093        | 0.050        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>0.093</b> | <b>0.050</b> |
| 102 | रायसिंह पिता परथीसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                                   | 445/1/1        | 1.151        | 1.151        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>1.151</b> | <b>1.151</b> |
| 103 | कमलाबाई बेवा करण सिंह बालीबाई पिता करण सिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.             | 445/1/2        | 1.151        | 1.151        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>1.151</b> | <b>0.151</b> |
| 104 | चैनसिंह पिता भेरूसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                                   | 445/2/1        | 0.458        | 0.458        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>0.458</b> | <b>0.458</b> |
| 105 | दुलेसिंह पिता भेरूसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                                  | 445/2/3        | 0.458        | 0.458        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>0.458</b> | <b>0.458</b> |
| 106 | अनारसिंह भागीरथ कमलाबाई केसरबाई पिता जगन्नाथ मेहताबबाई बेवा जगन्नाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी. | 446            | 0.647        | 0.647        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>0.647</b> | <b>0.647</b> |
| 107 | भंवरिया गंगा पिता अमरा रमेश रामचन्द्र पिता नारायण जाति चमार. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.        | 447/1          | 0.113        | 0.025        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>0.113</b> | <b>0.025</b> |
| 108 | भेरूलाल पिता भीमा मानसिंह पिता गणेश जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                       | 447/2          | 0.101        | 0.025        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>0.101</b> | <b>0.025</b> |
| 109 | देवीसिंह पिता कालूसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                                  | 448            | 0.886        | 0.386        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>0.886</b> | <b>0.386</b> |
| 110 | प्रभुनाथसिंह पिता दूलेसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                              | 451            | 0.482        | 0.100        |
|     |   | <b>योग . .</b> | <b>0.482</b> | <b>0.100</b> |

| (1) | (2)  | (3)                     | (4)            | (5)            |
|-----|--|-------------------------|----------------|----------------|
| 111 | अनारसिंह भागीरथ कमलाबाई, केसरबाई<br>पिता जगन्नाथ मेहताबाई बेवा जगन्नाथ<br>पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी. | 452/6/1                 | 1.137          | 1.137          |
|     |  | <b>योग . .</b>          | <b>1.137</b>   | <b>1.137</b>   |
| 112 | हजारीलाल पिता धूला जाति बागरी<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.   | 453/1                   | 0.516          | 0.200          |
|     |  | <b>योग . .</b>          | <b>0.516</b>   | <b>0.200</b>   |
| 113 | विक्रमसिंह पिता कालू सिंह जाति सौधिया<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                                 | 453/2                   | 0.633          | 0.200          |
|     |  | <b>योग . .</b>          | <b>0.633</b>   | <b>0.200</b>   |
| 114 | चन्द्रसिंह पिता भगवानसिंह जाति सौधिया<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                                 | 456/1                   | 0.190          | 0.050          |
|     |  | <b>योग . .</b>          | <b>0.190</b>   | <b>0.050</b>   |
| 115 | हजारीलाल पिता धूला जाति बागरी<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.   | 456/1/1                 | 0.240          | 0.050          |
|     |  | <b>योग . .</b>          | <b>0.240</b>   | <b>0.050</b>   |
| 116 | पूरसिंह पिता कालू सिंह जाति सौधिया<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                                    | 456/1/2                 | 0.583          | 0.050          |
|     |  | <b>योग . .</b>          | <b>0.583</b>   | <b>0.050</b>   |
| 117 | विक्रमसिंह पिता कालू सिंह जाति सौधिया<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                                 | 456/2/1                 | 0.126          | 0.050          |
|     |  | <b>योग . .</b>          | <b>0.126</b>   | <b>0.050</b>   |
| 118 | लालसिंह पिता कालूसिंह जाति सौधिया<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                                     | 456/2/2                 | 0.127          | 0.050          |
|     |  | <b>योग . .</b>          | <b>0.127</b>   | <b>0.050</b>   |
| 119 | देवीसिंह बट्टीलाल बालूसिंह पिता शिवसिंह<br>जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                      | 473/1<br>473/2          | 1.857          | 0.300          |
|     |  | <b>योग . .</b>          | <b>1.857</b>   | <b>0.300</b>   |
| 120 | भेरूसिंह पिता कालूसिंह जाति सौधिया<br>ग्राम भूमि स्वामी.   | 322/16/2/1              | 0.632          | 0.632          |
|     |  | <b>योग . .</b>          | <b>0.632</b>   | <b>0.632</b>   |
| 121 | भेरूसिंह पिता कालूसिंह जाति सौधिया<br>ग्राम भूमि स्वामी.   | 452/5                   | 1.267          | 1.267          |
|     |  | <b>योग . .</b>          | <b>1.267</b>   | <b>1.267</b>   |
| 122 | ईश्वरसिंह पिता कालूसिंह जाति सौधिया<br>पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.                                   | 322/16/1/2<br>450/4/1/1 | 1.151<br>0.590 | 1.151<br>0.590 |
|     |  | <b>योग . .</b>          | <b>1.741</b>   | <b>1.741</b>   |

| (1) | (2)   | (3)               | (4)           | (5)           |
|-----|---|-------------------|---------------|---------------|
| 123 | देवीसिंह पिता कालू सिंह जाति सौधिया पता ग्राम भूमि स्वामी.                    | 322/16/2/2        | 0.633         | 0.633         |
|     |   | <b>योग . .</b>    | <b>0.633</b>  | <b>0.633</b>  |
| 124 | हट्टेसिंह पिता प्रेम सिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.           | 452/4/2           | 0.674         | 0.674         |
|     |   | <b>योग . .</b>    | <b>0.674</b>  | <b>0.674</b>  |
| 125 | दुलेसिंह भगवान सिंह भोनी सिंह पिता शिवसिंह जाति सौधिया पता ग्राम भूमि स्वामी. | 322/16/1/3        | 0.392         | 0.392         |
|     |   | <b>योग . .</b>    | <b>0.392</b>  | <b>0.392</b>  |
| 126 | भेरूसिंह पिता कालूसिंह जाति सौधिया ग्राम भूमि स्वामी.                         | 322/16/2/1        | 0.632         | 0.500         |
|     |   | <b>योग . .</b>    | <b>0.632</b>  | <b>0.500</b>  |
| 127 | तूफान सिंह पिता दुलेसिंह जाति सौधिया ग्राम भूमि स्वामी.                       | 452/4/1/2         | 1.265         | 1.265         |
|     |   | <b>योग . .</b>    | <b>1.265</b>  | <b>1.265</b>  |
| 128 | दुलेसिंह पिता शिवसिंह जाति सौधिया ग्राम भूमि स्वामी.                          | 452/4/1/1         | 0.590         | 0.590         |
|     |   | <b>योग . .</b>    | <b>0.590</b>  | <b>0.590</b>  |
| 129 | चन्द्रसिंह पिता देवसिंह जाति सौधिया ग्राम भूमि स्वामी.                        | 452/3             | 2.529         | 1.000         |
|     |   | <b>योग . .</b>    | <b>2.529</b>  | <b>1.000</b>  |
| 130 | चन्द्रसिंह पिता देवसिंह जाति सौधिया ग्राम भूमि स्वामी.                        | 452/1/3           | 1.400         | 0.759         |
|     |   | <b>योग . .</b>    | <b>1.400</b>  | <b>0.759</b>  |
| 131 | देवीसिंह बद्रीलाल बालूसिंह पिता शिवसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी. | 474               | 0.190         | 0.100         |
|     |   | <b>योग . .</b>    | <b>0.190</b>  | <b>0.100</b>  |
|     |   | <b>महायोग . .</b> | <b>58.311</b> | <b>45.317</b> |

नोट.— भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगपुर कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र./एं. 8443.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़ कुण्डलिया बाँध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व रावे क्रगांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

### अनुसूची (1)

| ग्राम—सेमला  |  | तहसील—जीरापुर                                  |               | जिला—राजगढ़ |  |
|--------------|--|--|---------------|-------------|--|
| क्र.         | विवरण  | अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे. में) |               |             |  |
|              |  | कुल रकबा                                       | अर्जित रकबा   |             |  |
| (1)          | (2)  | (3)  | (4)           |             |  |
| 1            | निजी भूमि<br>1. कुण्डलिया बाँध परियोजना के निर्माण में डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से. | 43.096   | 27.260        |             |  |
| <b>योग :</b> |  | <b>43.096</b>                                  | <b>27.260</b> |             |  |

### अनुसूची (2)

#### (1) कुण्डलिया बाँध परियोजना में प्रभावित होने से

| क्र.           | कृषक का नाम व पिता/पति का नाम  | खसरा क्रमांक | भूमि का कुल रकबा | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा |
|----------------|--|--------------|------------------|----------------------------------|
| (1)            | (2)  | (3)          | (4)              | (5)                              |
| 1              | बापूलाल आ. मोहनलाल जाति दांगी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.   | 79/1         | 5.914            | 1.700                            |
| <b>योग . .</b> |  |              | <b>5.914</b>     | <b>1.700</b>                     |
| 2              | कंवरलाल पिता प्रहलाद जाति दांगी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.   | 79/2         | 0.500            | 0.002                            |
| <b>योग . .</b> |  |              | <b>0.500</b>     | <b>0.002</b>                     |
| 3              | रणबहादुर गोपाल सिंह महेन्द्र सिंह आत्मज कृष्णचंद सिंह विजेन्द्र सिंह पिता बलबहादुर सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम झाड़मउ भूमि स्वामी. | 193          | 1.068            | 0.200                            |
| <b>योग . .</b> |  |              | <b>1.068</b>     | <b>0.200</b>                     |
| 4              | महेन्द्र सिंह आत्मज कृष्णचंद सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम झाड़मउ भूमि स्वामी.   | 195          | 0.551            | 0.551                            |
| <b>योग . .</b> |  |              | <b>0.551</b>     | <b>0.551</b>                     |

| (1) | (2)  | (3)            | (4)   | (5)   |
|-----|--|----------------|-------|-------|
| 5   | मदनलाल आ. रामबक्स जाति दांगी<br>पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.   | 198/1          | 0.270 | 0.195 |
|     |  | <b>योग . .</b> | 0.270 | 0.195 |
| 6   | कंवरलाल पिता प्रहलाद जाति दांगी<br>पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.  | 198/2          | 0.484 | 0.284 |
|     |  | <b>योग . .</b> | 0.484 | 0.284 |
| 7   | कन्हैयालाल पिता रामबगस जाति दांगी<br>पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.  | 198/3          | 0.484 | 0.284 |
|     |  | <b>योग . .</b> | 0.484 | 0.284 |
| 8   | प्रभुलाल पिता रामबगस जाति दांगी<br>पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.  | 198/4          | 0.502 | 0.302 |
|     |  | <b>योग . .</b> | 0.502 | 0.302 |
| 9   | विजय सिंह सावित्रीबाई पिता मांगीलाल<br>राधेश्याम देवकरण अमरी बाई सुजान<br>बाई पिता उम्मेदा जाति भोपा<br>पता नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 200/1/1/2/1    | 1.517 | 1.517 |
|     |  | <b>योग . .</b> | 1.517 | 1.517 |
| 10  | भंवरलाल आ. मोहनलाल जाति दांगी<br>पता नि. ग्राम जीरापुर भूमि स्वामी.  | 200/1/1/9      | 2.000 | 2.000 |
|     |  | <b>योग . .</b> | 2.000 | 2.000 |
| 11  | छोटूलाल पिता रामसिंह जाति दांगी<br>पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.  | 200/1/1/14     | 2.000 | 2.000 |
|     |  | <b>योग . .</b> | 2.000 | 2.000 |
| 12  | रम्भाबाई पति भागीरथ जाति जाट<br>पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.   | 200/1/1/15     | 2.000 | 2.000 |
|     |  | <b>योग . .</b> | 2.000 | 2.000 |
| 13  | मांगीलाल पिता चंदा जाति भोपा<br>पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.   | 200/1/1/5      | 2.000 | 2.000 |
|     |  | <b>योग . .</b> | 2.000 | 2.000 |

| (1) | (2)  | (3)            | (4)   | (5)   |
|-----|--|----------------|-------|-------|
| 14  | गीताबाई पति जगन्नाथ दांगी<br>पता नि. ग्राम भाशीखेड़ा भूमि स्वामी.                            | 200/1/1/10     | 2.000 | 2.000 |
|     |  | <b>योग . .</b> | 2.000 | 2.000 |
| 15  | कन्हैयालाल आ. श्रीलाल नर्मदाबाई<br>बेवा श्रीलाल जाति दांगी<br>पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.     | 200/17         | 0.786 | 0.700 |
|     |  | <b>योग . .</b> | 0.786 | 0.700 |
| 16  | घीसालाल पिता प्रभुलाल जाति भोपा<br>पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.                                | 200/1/1/3      | 2.000 | 1.000 |
|     |  | <b>योग . .</b> | 2.000 | 1.000 |
| 17  | पारीबाई पति प्रभुलाल दर्यावबाई पति<br>प्रहलाद जाति दांगी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.          | 200/1/1/2/2    | 0.506 | 0.200 |
|     |  | <b>योग . .</b> | 0.506 | 0.200 |
| 18  | मुकेश आ. बद्रीलाल जाति जाट<br>पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.                                     | 200/1/1/44     | 0.223 | 0.112 |
|     |  | <b>योग . .</b> | 0.223 | 0.112 |
| 19  | दरियावबाई पति प्रेम सिंह सौधिया<br>पता नि. ग्राम बसस्टेण्ड के पीछे<br>जीरापुर भूमि स्वामी.   | 200/1/1/25     | 2.000 | 1.000 |
|     |  | <b>योग . .</b> | 2.000 | 1.000 |
| 20  | कृष्णगोपाल पिता जगन्नाथ<br>जाति ब्राम्हण पता निवासी ग्राम<br>भूमि स्वामी.                    | 200/1/1/24     | 2.000 | 1.000 |
|     |  | <b>योग . .</b> | 2.000 | 1.000 |
| 21  | रामनारायण पिता गुलाब जाति<br>लोधा पता निवासी ग्राम<br>भूमि स्वामी.                           | 200/1/1/16     | 2.000 | 1.010 |
|     |  | <b>योग . .</b> | 2.000 | 1.010 |
| 22  | कन्हैयालाल आत्मज श्रीलाल नर्मदाबाई<br>बेवा श्री लाल जाति दांगी<br>पता नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 200/1/1/17     | 2.023 | 1.010 |
|     |  | <b>योग . .</b> | 2.023 | 1.010 |

| (1) | (2)   | (3)          | (4)   | (5)   |
|-----|---|--------------|-------|-------|
| 23  | फूलसिंह लक्ष्मीनारायण पिता हजारीलाल जाति दांगी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 200/1/1/6/1  | 0.285 | 0.100 |
|     | योग . .   |              | 0.285 | 0.100 |
| 24  | गोरीलाल आ. जगन्नाथ जाति दांगी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.                  | 200/1/1/6/2  | 0.285 | 0.100 |
|     | योग . .   |              | 0.285 | 0.100 |
| 25  | बापूलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.                | 200/1/1/6/3  | 0.286 | 0.186 |
|     | योग . .   |              | 0.286 | 0.186 |
| 26  | कनीराम पिता जगन्नाथ जाति दांगी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.                 | 200/1/1/6/4  | 0.286 | 0.100 |
|     | योग . .   |              | 0.286 | 0.100 |
| 27  | राधेश्याम पिता हरिचरण जाति दांगी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.               | 200/1/1/6/5  | 0.286 | 0.150 |
|     | योग . .   |              | 0.286 | 0.150 |
| 28  | रामचरण पिता उंकार जाति दांगी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.                   | 200/1/1/6/6  | 0.286 | 0.100 |
|     | योग . .   |              | 0.286 | 0.100 |
| 29  | विजय सिंह पिता उंकार जाति दांगी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.                | 200/1/1/6/7  | 0.286 | 0.150 |
|     | योग . .   |              | 0.286 | 0.150 |
| 30  | भंवरलाल पिता गुलाब जाति लोड़ा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.                  | 200/1/1/20   | 1.863 | 0.200 |
|     | योग . .   |              | 1.863 | 0.200 |
| 31  | फूलसिंह लक्ष्मीनारायण पिता हजारीलाल जाति दांगी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 200/1/1/22/1 | 0.289 | 0.180 |
|     | योग . .   |              | 0.289 | 0.180 |
| 32  | गोरीलाल आ. जगन्नाथ जाति दांगी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.                  | 200/1/1/22/2 | 0.289 | 0.175 |
|     | योग . .   |              | 0.289 | 0.175 |



| (1) | (2)  | (3)          | (4)    | (5)    |
|-----|--|--------------|--------|--------|
| 33  | बापुलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.         | 200/1/1/22/3 | 0.289  | 0.175  |
|     |  | योग . .      | 0.289  | 0.175  |
| 34  | कनीराम पिता जगन्नाथ जाति दांगी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.          | 200/1/1/22/4 | 0.289  | 0.175  |
|     |  | योग . .      | 0.289  | 0.175  |
| 35  | राधेश्याम पिता हरिचरण जाति दांगी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.        | 200/1/1/22/5 | 0.289  | 0.175  |
|     |  | योग . .      | 0.289  | 0.175  |
| 36  | विजय सिंह पिता उंकार जाति दांगी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.         | 200/1/1/22/7 | 0.289  | 0.175  |
|     |  | योग . .      | 0.289  | 0.175  |
| 37  | रोड़ीलाल पिता रामबगस अनारबाई जाति दांगी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी. | 197/1        | 0.399  | 0.399  |
|     |  | योग . .      | 0.399  | 0.399  |
| 38  | भंवरलाल रामबगस जाति दांगी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.               | 197/2        | 0.399  | 0.399  |
|     |  | योग . .      | 0.399  | 0.399  |
| 39  | मदनलाल पिता रामबगस जाति दांगी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.           | 197/3        | 0.254  | 0.254  |
|     |  | योग . .      | 0.254  | 0.254  |
| 40  | गंगाधर पिता जगन्नाथ जाति ब्राह्मण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.       | 200/1/1/23   | 0.2000 | 0.1800 |
|     |  | योग . .      | 0.2000 | 0.1800 |
| 41  | सुगनबाई पति बद्रीलाल जाति जाट पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.           | 200/1/1/42   | 1.619  | 1.200  |
|     |  | योग . .      | 1.619  | 1.200  |
|     |  | महायोग . .   | 43.96  | 27.260 |

नोट.— भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी सारंगपुर कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तरूण कुमार पिथोड़े कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 24 सितम्बर 2016

प्र. क्र. 01-अ-82-2015-2016.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्रमांक (1) में औंकारेश्वर नहर परियोजना चरण-4, मुख्य नहर के ग्राम बालीपुर, तहसील मनावर, जिला धार की नहर निर्माण के लिए वर्णित जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

## अनुसूची (1)

| ग्राम—बालीपुर |  | तहसील—मनावर   |         | जिला—धार |
|---------------|--|---|---------|----------|
| क्र.          | विवरण                                      | अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में) |         |          |
|               |  | सिंचित  | असिंचित | कुल      |
| (1)           | (2)  | (3)   |         | (4)      |
| 1             | औंकारेश्वर नहर परियोजना चरण-4<br>मुख्य नहर | 1.616   | -       | 1.616    |
| योग :         |  | 1.616   | -       | 1.616    |

## अनुसूची (2)

औंकारेश्वर नहर परियोजना चरण-4 के अंतर्गत ग्राम बालीपुर, तहसील मनावर की नहर निर्माण से प्रभावित भूमि का विवरण

| क्र.    | कृषक का नाम व पिता<br>/पति का नाम  | खसरा क्र.               | भूमि का कुल रकबा        |             |                         | अर्जित की जाने वाली भूमि<br>का रकबा (हेक्टेयर में) |             |                         |
|---------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|--|-------------|-------------------------|
|         |  |                         | सिंचित                  | असिंचित     | कुल रकबा                | सिंचित   | असिंचित     | कुल रकबा                |
| (1)     | (2)  | (3)                     | (4)                     | (5)         | (6)                     | (7)  | (8)         | (9)                     |
| 1       | नरेन्द्र पिता दयाराम,<br>कमलाबाई पति दयाराम<br>जाति कुलमी<br>निवासी मनावर. | 662/782/1<br>662<br>663 | 2.101<br>2.184<br>0.543 | -<br>-<br>- | 2.101<br>2.184<br>0.543 | 0.351<br>1.066<br>0.199                            | -<br>-<br>- | 0.351<br>1.066<br>0.199 |
| योग . . |  | 3                       | 4.828                   | -           | 4.828                   | 1.616  | -           | 1.616                   |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीमन शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
डिण्डौरी, दिनांक 20 सितम्बर 2016

क्र. भू-अर्जन (अ-82) 2016-2017-1269.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से खाने (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

#### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |                 | निर्माण कार्य एजेंसी का नाम |   | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन  |  |   |
|---------------|-----------------|-----------------------------|---|---|--|---|
| जिला          | तहसील/<br>तालुक | नगर/ग्राम                   | खसरा<br>नंबर  | भू-अर्जन हेतु<br>प्रस्तावित रकबा<br>(हेक्टर में)  | कार्यपालन यंत्री,<br>जल संसाधन संभाग,<br>डिण्डौरी. | डिण्डौरी मध्यम परियोजना<br>शीर्ष कार्य. |
| (1)           | (2)             | (3)                         | (4)   | (5)   | (6)  | (7)                                     |
| डिण्डौरी      | डिण्डौरी        | सढवाछापर<br>प.ह.नं. . .     | 100<br>58<br>67<br>18/4<br>212/1<br>212/2<br>212/3<br>69<br>212/6<br>165/2<br>95/2<br>212/10<br>4/2<br>18/5<br>95/1<br>103<br>129<br>194<br>149<br>9<br>212/4<br>144<br>18/1<br>191/2<br>18/2 | 0.030<br>0.060<br>0.090<br>0.100<br>0.110<br>0.700<br>0.100<br>0.140<br>0.190<br>0.290<br>0.300<br>0.110<br>0.400<br>0.360<br>0.280<br>0.120<br>0.400<br>0.200<br>0.490<br>0.500<br>0.250<br>0.480<br>0.510<br>0.530<br>0.500 |  |   |

| (1) | (2) | (3) | (4)   | (5)   | (6) | (7) |
|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|
|     |     |     | 403/1 | 0.040 |     |     |
|     |     |     | 18/3  | 0.500 |     |     |
|     |     |     | 403/2 | 0.040 |     |     |
|     |     |     | 147   | 0.470 |     |     |
|     |     |     | 167/1 | 0.240 |     |     |
|     |     |     | 226/1 | 0.060 |     |     |
|     |     |     | 257/1 | 0.130 |     |     |
|     |     |     | 464/1 | 0.160 |     |     |
|     |     |     | 167/2 | 0.250 |     |     |
|     |     |     | 226/2 | 0.060 |     |     |
|     |     |     | 257/5 | 0.120 |     |     |
|     |     |     | 464/5 | 0.160 |     |     |
|     |     |     | 186   | 0.590 |     |     |
|     |     |     | 154/2 | 0.600 |     |     |
|     |     |     | 13    | 0.250 |     |     |
|     |     |     | 124   | 0.640 |     |     |
|     |     |     | 212/7 | 0.420 |     |     |
|     |     |     | 137   | 0.550 |     |     |
|     |     |     | 437   | 0.150 |     |     |
|     |     |     | 14    | 0.270 |     |     |
|     |     |     | 77    | 0.020 |     |     |
|     |     |     | 181   | 0.730 |     |     |
|     |     |     | 177   | 0.750 |     |     |
|     |     |     | 322   | 0.510 |     |     |
|     |     |     | 15    | 0.300 |     |     |
|     |     |     | 114   | 0.080 |     |     |
|     |     |     | 269   | 0.410 |     |     |
|     |     |     | 132   | 0.110 |     |     |
|     |     |     | 1/2   | 0.810 |     |     |
|     |     |     | 119/2 | 0.050 |     |     |
|     |     |     | 121   | 0.410 |     |     |
|     |     |     | 188/2 | 0.470 |     |     |
|     |     |     | 210   | 0.21  |     |     |
|     |     |     | 212/9 | 0.170 |     |     |
|     |     |     | 169   | 0.720 |     |     |
|     |     |     | 179   | 0.880 |     |     |
|     |     |     | 84/5  | 0.280 |     |     |
|     |     |     | 560   | 0.450 |     |     |
|     |     |     | 192   | 0.22  |     |     |
|     |     |     | 212/8 | 0.25  |     |     |
|     |     |     | 4/1   | 1.030 |     |     |
|     |     |     | 141   | 0.850 |     |     |
|     |     |     | 326/1 | 0.200 |     |     |
|     |     |     | 326/2 | 0.120 |     |     |

| (1) | (2) | (3) | (4)   | (5)   | (6) | (7) |
|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|
|     |     |     | 262/6 | 0.850 |     |     |
|     |     |     | 262/5 | 0.740 |     |     |
|     |     |     | 10/2  | 1.200 |     |     |
|     |     |     | 190/2 | 0.730 |     |     |
|     |     |     | 262/2 | 0.130 |     |     |
|     |     |     | 180   | 0.500 |     |     |
|     |     |     | 23    | 0.630 |     |     |
|     |     |     | 81    | 0.320 |     |     |
|     |     |     | 262/4 | 0.180 |     |     |
|     |     |     | 168   | 0.660 |     |     |
|     |     |     | 173   | 1.520 |     |     |
|     |     |     | 188/1 | 1.310 |     |     |
|     |     |     | 212/5 |       |     |     |
|     |     |     | 154/1 | 0.490 |     |     |
|     |     |     | 182   | 0.710 |     |     |
|     |     |     | 187   | 0.440 |     |     |
|     |     |     | 41    | 1.300 |     |     |
|     |     |     | 190/1 | 0.720 |     |     |
|     |     |     | 30    | 1.250 |     |     |
|     |     |     | 94/4  | 0.10  |     |     |
|     |     |     | 95/6  | 0.14  |     |     |
|     |     |     | 130/4 | 0.520 |     |     |
|     |     |     | 94/2  | 0.12  |     |     |
|     |     |     | 95/4  | 0.150 |     |     |
|     |     |     | 130/2 | 0.500 |     |     |
|     |     |     | 94/3  | 0.08  |     |     |
|     |     |     | 95/5  | 0.140 |     |     |
|     |     |     | 130/3 | 0.520 |     |     |
|     |     |     | 94/1  | 0.05  |     |     |
|     |     |     | 95/3  | 0.14  |     |     |
|     |     |     | 130/1 | 0.520 |     |     |
|     |     |     | 38/2  | 0.400 |     |     |
|     |     |     | 122   | 0.290 |     |     |
|     |     |     | 138/2 | 0.800 |     |     |
|     |     |     | 140   | 0.440 |     |     |
|     |     |     | 52    | 0.200 |     |     |
|     |     |     | 142   | 1.240 |     |     |
|     |     |     | 218   | 0.260 |     |     |
|     |     |     | 84/1  | 0.620 |     |     |
|     |     |     | 184   | 0.900 |     |     |
|     |     |     | 328   | 0.620 |     |     |
|     |     |     | 178   | 2.110 |     |     |
|     |     |     | 5/3   | 1.830 |     |     |
|     |     |     | 61    | 0.100 |     |     |

| (1) | (2) | (3) | (4)   | (5)   | (6) | (7) |
|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|
|     |     |     | 148   | 0.850 |     |     |
|     |     |     | 166   | 2.050 |     |     |
|     |     |     | 139   | 2.020 |     |     |
|     |     |     | 153   | 0.650 |     |     |
|     |     |     | 193/2 | 0.610 |     |     |
|     |     |     | 219   |       |     |     |
|     |     |     | 136   | 1.050 |     |     |
|     |     |     | 5/1   | 2.250 |     |     |
|     |     |     | 176/2 | 0.070 |     |     |
|     |     |     | 5/2   | 1.640 |     |     |
|     |     |     | 323   |       |     |     |
|     |     |     | 193/1 | 0.930 |     |     |
|     |     |     | 7     | 1.830 |     |     |
|     |     |     | 170/3 | 0.260 |     |     |
|     |     |     | 176/3 | 0.180 |     |     |
|     |     |     | 170/1 | 0.260 |     |     |
|     |     |     | 176/1 | 0.170 |     |     |
|     |     |     | 10/1  | 1.060 |     |     |
|     |     |     | 40    | 2.850 |     |     |
|     |     |     | 80    | 0.210 |     |     |
|     |     |     | 31    | 0.350 |     |     |
|     |     |     | 26    | 3.270 |     |     |
|     |     |     | 33    | 0.640 |     |     |
|     |     |     | 53    | 0.160 |     |     |
|     |     |     | 156   | 0.860 |     |     |
|     |     |     | 227   | 0.120 |     |     |
|     |     |     | 22/2  | 0.530 |     |     |
|     |     |     | 96/2  | 0.060 |     |     |
|     |     |     | 211/2 | 0.320 |     |     |
|     |     |     | 22/1  | 0.530 |     |     |
|     |     |     | 96/1  | 0.070 |     |     |
|     |     |     | 211/1 | 0.330 |     |     |
|     |     |     | 43    | 0.05  |     |     |
|     |     |     | 128   | 0.950 |     |     |
|     |     |     | 150   | 0.680 |     |     |
|     |     |     | 27    | 0.860 |     |     |
|     |     |     | 28    | 0.900 |     |     |
|     |     |     | 29    | 2.710 |     |     |
|     |     |     | 38/1  | 0.340 |     |     |
|     |     |     | 24    | 0.160 |     |     |
|     |     |     | 57    | 0.170 |     |     |
|     |     |     | 131   | 0.770 |     |     |
|     |     |     | 34    | 0.120 |     |     |
|     |     |     | 37    | 1.580 |     |     |

| (1) | (2) | (3) | (4)    | (5)   | (6) | (7) |
|-----|-----|-----|--------|-------|-----|-----|
|     |     |     | 138/1  | 1.900 |     |     |
|     |     |     | 65     | 0.230 |     |     |
|     |     |     | 220    | 0.240 |     |     |
|     |     |     | 327    | 0.690 |     |     |
|     |     |     | 330    | 2.400 |     |     |
|     |     |     | 11     | 4.000 |     |     |
|     |     |     | 19     | 0.44  |     |     |
|     |     |     | 98     | 0.210 |     |     |
|     |     |     | 160    | 0.62  |     |     |
|     |     |     | 45     | 3.02  |     |     |
|     |     |     | 46     | 1.140 |     |     |
|     |     |     | 54     | 0.340 |     |     |
|     |     |     | 71     | 0.560 |     |     |
|     |     |     | 175    | 3.010 |     |     |
|     |     |     | 100    | 0.030 |     |     |
|     |     |     | 500/2  | 0.130 |     |     |
|     |     |     | 257/3  | 0.120 |     |     |
|     |     |     | 464/3  | 0.160 |     |     |
|     |     |     | 257/4  | 0.120 |     |     |
|     |     |     | 464/4  | 0.160 |     |     |
|     |     |     | 85/2   | 0.200 |     |     |
|     |     |     | 212/10 | 0.110 |     |     |
|     |     |     | 129    | 0.400 |     |     |
|     |     |     | 18/5   | 0.400 |     |     |
|     |     |     | 68     | 0.030 |     |     |
|     |     |     | 144    | 0.480 |     |     |
|     |     |     | 18/1   | 0.510 |     |     |
|     |     |     | 154/2  | 0.600 |     |     |
|     |     |     | 124    | 0.640 |     |     |
|     |     |     | 137    | 0.550 |     |     |
|     |     |     | 437    | 0.150 |     |     |
|     |     |     | 14     | 0.270 |     |     |
|     |     |     | 77     | 0.020 |     |     |
|     |     |     | 101    | 0.030 |     |     |
|     |     |     | 270    | 0.400 |     |     |
|     |     |     | 188/2  | 0.470 |     |     |
|     |     |     | 210    | 0.080 |     |     |
|     |     |     | 212/9  | 0.270 |     |     |
|     |     |     | 169    | 0.720 |     |     |
|     |     |     | 204    | 0.150 |     |     |
|     |     |     | 179    | 0.880 |     |     |
|     |     |     | 262/6  | 1.150 |     |     |
|     |     |     | 188/1  | 1.310 |     |     |
|     |     |     | 212/5  | 0.250 |     |     |

| (1) | (2) | (3) | (4)   | (5)   | (6) | (7) |
|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|
|     |     |     | 154/1 | 0.490 |     |     |
|     |     |     | 336   | 1.070 |     |     |
|     |     |     | 182   | 0.710 |     |     |
|     |     |     | 187   | 0.440 |     |     |
|     |     |     | 462   | 0.500 |     |     |
|     |     |     | 190/1 | 0.720 |     |     |
|     |     |     | 288/1 | 0.490 |     |     |
|     |     |     | 407   | 0.170 |     |     |
|     |     |     | 430/3 | 0.400 |     |     |
|     |     |     | 130/3 | 0.520 |     |     |
|     |     |     | 130/1 | 0.520 |     |     |
|     |     |     | 267/1 | 0.720 |     |     |
|     |     |     | 272/1 | 0.100 |     |     |
|     |     |     | 52    | 0.200 |     |     |
|     |     |     | 142   | 1.240 |     |     |
|     |     |     | 274   | 0.500 |     |     |
|     |     |     | 184   | 0.900 |     |     |
|     |     |     | 230   | 0.240 |     |     |
|     |     |     | 403/3 | 0.040 |     |     |
|     |     |     | 467   | 0.830 |     |     |
|     |     |     | 424   | 0.220 |     |     |
|     |     |     | 178   | 2.110 |     |     |
|     |     |     | 61    | 0.100 |     |     |
|     |     |     | 112   | 0.050 |     |     |
|     |     |     | 148   | 0.850 |     |     |
|     |     |     | 305   | 0.590 |     |     |
|     |     |     | 320   | 0.680 |     |     |
|     |     |     | 166   | 2.560 |     |     |
|     |     |     | 323   | 0.770 |     |     |
|     |     |     | 156   | 0.860 |     |     |
|     |     |     | 227   | 0.120 |     |     |
|     |     |     | 263   | 1.040 |     |     |
|     |     |     | 281   | 0.940 |     |     |
|     |     |     | 379   | 0.150 |     |     |
|     |     |     | 390   | 0.220 |     |     |
|     |     |     | 444   | 1.230 |     |     |
|     |     |     | 80    | 0.210 |     |     |
|     |     |     | 211/2 | 0.320 |     |     |
|     |     |     | 150   | 0.680 |     |     |
|     |     |     | 37    | 1.580 |     |     |
|     |     |     | 138/1 | 1.900 |     |     |
|     |     |     | 45    | 3.430 |     |     |
|     |     |     | 46    | 1.140 |     |     |
|     |     |     | 54    | 0.340 |     |     |



| (1) | (2) | (3) | (4)                 | (5)     | (6) | (7) |
|-----|-----|-----|---------------------|---------|-----|-----|
|     |     |     | 59                  | 0.070   |     |     |
|     |     |     | 71                  | 0.560   |     |     |
|     |     |     | 133                 | 1.580   |     |     |
|     |     |     | 332/1               | 0.800   |     |     |
|     |     |     | 330                 | 2.400   |     |     |
|     |     |     | निजी भूमि योग . .   | 127.341 |     |     |
|     |     |     | शासकीय भूमि योग . . | 65.860  |     |     |
|     |     |     | कुल योग . .         | 193.201 |     |     |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन (अ-82) 2016-2017-1270.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से खाने (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |                 | अनुसूची                  |              | निर्माण कार्य एजेंसी                             | सार्वजनिक प्रयोजन                                  |   |
|---------------|-----------------|--------------------------|--------------|--|--|---|
| जिला          | तहसील/<br>तालुक | नगर/ग्राम                | खसरा<br>नंबर | भू-अर्जन हेतु<br>प्रस्तावित रकबा<br>(हेक्टर में) | का नाम   | का वर्णन                                |
| (1)           | (2)             | (3)                      | (4)          | (5)  | (6)  | (7)                                     |
| डिण्डौरी      | डिण्डौरी        | करौदी रै.<br>प.ह.नं. . . | 68/3         | 0.290  | कार्यपालन यंत्री,<br>जल संसाधन संभाग,<br>डिण्डौरी. | डिण्डौरी मध्यम परियोजना<br>शीर्ष कार्य. |
|               |                 |                          | 65           | 0.224  |  |   |
|               |                 |                          | 85           | 0.370  |  |   |
|               |                 |                          | 86           | 0.380  |  |   |
|               |                 |                          | 74/3         | 0.400  |  |   |
|               |                 |                          | 84           | 0.490  |  |   |
|               |                 |                          | 87           | 0.500  |  |   |
|               |                 |                          | 19/3         | 0.300  |  |   |
|               |                 |                          | 68/1         | 0.467  |  |   |
|               |                 |                          | 74/2         | 0.610  |  |   |
|               |                 |                          | 66           | 0.580  |  |   |
|               |                 |                          | 68/2         | 0.660  |  |   |
|               |                 |                          | 110/1        | 0.820  |  |   |
|               |                 |                          | 104/1        | 1.000  |  |   |
|               |                 |                          | 104/2        | 1.000  |  |   |
|               |                 |                          | 67/2         | 0.350  |  |   |
|               |                 |                          | 69/3         | 0.410  |  |   |
|               |                 |                          | 69/4         | 0.370  |  |   |

| (1) | (2) | (3) | (4)             | (5)    | (6) | (7) |
|-----|-----|-----|-----------------|--------|-----|-----|
|     |     |     | 78              | 1.460  |     |     |
|     |     |     | 74/1            | 1.570  |     |     |
|     |     |     | 107             | 1.610  |     |     |
|     |     |     | 108             | 1.610  |     |     |
|     |     |     | 15/1            | 1.640  |     |     |
|     |     |     | 96              | 0.280  |     |     |
|     |     |     | 100             | 1.390  |     |     |
|     |     |     | 17              | 2.080  |     |     |
|     |     |     | 22              | 1.460  |     |     |
|     |     |     | 97              | 0.410  |     |     |
|     |     |     | 105             | 0.820  |     |     |
|     |     |     | 72              | 1.880  |     |     |
|     |     |     | 76              | 1.600  |     |     |
|     |     |     | 88              | 0.370  |     |     |
|     |     |     | 122             | 1.080  |     |     |
|     |     |     | 102             | 0.200  |     |     |
|     |     |     | 58/3            | 0.620  |     |     |
|     |     |     | 115/3           | 0.620  |     |     |
|     |     |     | 113/1           | 0.930  |     |     |
|     |     |     | 69/1            | 0.960  |     |     |
|     |     |     | 104/1           | 1.000  |     |     |
|     |     |     | 69/3            | 0.410  |     |     |
|     |     |     | 143             | 1.150  |     |     |
|     |     |     | 119/4           | 1.470  |     |     |
|     |     |     | 104             | 1.610  |     |     |
|     |     |     | 138             | 1.330  |     |     |
|     |     |     | 113/1           | 1.990  |     |     |
|     |     |     | 14              | 1.990  |     |     |
|     |     |     | 24/2            | 2.000  |     |     |
|     |     |     | 111/1           | 2.100  |     |     |
|     |     |     | 70              | 0.800  |     |     |
|     |     |     | 71              | 1.770  |     |     |
|     |     |     | 142             | 3.500  |     |     |
|     |     |     | 18              | 2.100  |     |     |
|     |     |     | 94              | 1.220  |     |     |
|     |     |     | 17              | 2.080  |     |     |
|     |     |     | 22              | 1.460  |     |     |
|     |     |     | 97              | 0.410  |     |     |
|     |     |     | 105             | 0.820  |     |     |
|     |     |     | 54/1            | 1.320  |     |     |
|     |     |     | योग . . .       | 61.325 |     |     |
|     |     |     | शासकीय भूमि . . | 11.821 |     |     |
|     |     |     | कुल योग . .     | 73.146 |     |     |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन (अ-82) 2016-2017-1271.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित की अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

| भूमि का वर्णन |                 | अनुसूची                  |              | निर्माण कार्य एजेंसी                             | सार्वजनिक प्रयोजन                                  |   |
|---------------|-----------------|--------------------------|--------------|--|--|---|
| जिला          | तहसील/<br>तालुक | नगर/ग्राम                | खसरा<br>नंबर | भू-अर्जन हेतु<br>प्रस्तावित रकबा<br>(हेक्टर में) | का नाम   | का वर्णन                                |
| (1)           | (2)             | (3)                      | (4)          | (5)  | (6)  | (7)                                     |
| डिण्डौरी      | डिण्डौरी        | झांकी माल<br>प.ह.नं. . . | 777/2        | 0.120  | कार्यपालन यंत्री,<br>जल संसाधन संभाग,<br>डिण्डौरी. | डिण्डौरी मध्यम परियोजना<br>शीर्ष कार्य. |
|               |                 |                          | 626          | 0.150  |  |   |
|               |                 |                          | 55           | 0.160  |  |   |
|               |                 |                          | 767/2        | 0.190  |  |   |
|               |                 |                          | 775/1/छ      | 0.190  |  |   |
|               |                 |                          | 775/1/ज      | 0.190  |  |   |
|               |                 |                          | 773/3        | 0.200  |  |   |
|               |                 |                          | 773/4        | 0.200  |  |   |
|               |                 |                          | 775/1/च      | 0.200  |  |   |
|               |                 |                          | 654          | 0.210  |  |   |
|               |                 |                          | 562/1        | 0.070  |  |   |
|               |                 |                          | 571/1        | 0.210  |  |   |
|               |                 |                          | 637          | 0.290  |  |   |
|               |                 |                          | 550/2        | 0.400  |  |   |
|               |                 |                          | 773/2        | 0.400  |  |   |
|               |                 |                          | 147/2        | 0.080  |  |   |
|               |                 |                          | 564          | 0.070  |  |   |
|               |                 |                          | 567          | 0.330  |  |   |
|               |                 |                          | 595          | 0.400  |  |   |
|               |                 |                          | 491          | 0.420  |  |   |
|               |                 |                          | 709          | 0.430  |  |   |
|               |                 |                          | 573          | 0.430  |  |   |
|               |                 |                          | 574          | 0.430  |  |   |
|               |                 |                          | 474          | 0.440  |  |   |
|               |                 |                          | 682/2        | 0.450  |  |   |
|               |                 |                          | 651          | 0.480  |  |   |
|               |                 |                          | 560/1        | 0.500  |  |   |
|               |                 |                          | 561          | 0.500  |  |   |
|               |                 |                          | 743          | 0.520  |  |   |
|               |                 |                          | 493          | 0.520  |  |   |

| (1) | (2) | (3) | (4)     | (5)   | (6) | (7) |
|-----|-----|-----|---------|-------|-----|-----|
|     |     |     | 451/2   | 0.550 |     |     |
|     |     |     | 819/2   | 0.600 |     |     |
|     |     |     | 488/2   | 0.600 |     |     |
|     |     |     | 506/2   | 0.310 |     |     |
|     |     |     | 516/2   | 0.160 |     |     |
|     |     |     | 624/2   | 0.130 |     |     |
|     |     |     | 51/2    | 0.600 |     |     |
|     |     |     | 768     | 0.610 |     |     |
|     |     |     | 742/4   | 0.650 |     |     |
|     |     |     | 685/2   | 0.660 |     |     |
|     |     |     | 48      | 0.510 |     |     |
|     |     |     | 453     | 0.170 |     |     |
|     |     |     | 495     | 0.710 |     |     |
|     |     |     | 724     | 0.760 |     |     |
|     |     |     | 560/2   | 0.500 |     |     |
|     |     |     | 562/2   | 0.070 |     |     |
|     |     |     | 571/2   | 0.200 |     |     |
|     |     |     | 832     | 0.351 |     |     |
|     |     |     | 835     | 0.800 |     |     |
|     |     |     | 770/2   | 0.800 |     |     |
|     |     |     | 742/3   | 0.480 |     |     |
|     |     |     | 774/3   | 0.320 |     |     |
|     |     |     | 512/2/ख | 0.800 |     |     |
|     |     |     | 498     | 0.400 |     |     |
|     |     |     | 557     | 0.41  |     |     |
|     |     |     | 824     | 0.810 |     |     |
|     |     |     | 751/1   | 0.830 |     |     |
|     |     |     | 685/1   | 0.870 |     |     |
|     |     |     | 740     | 0.880 |     |     |
|     |     |     | 468/2   | 0.880 |     |     |
|     |     |     | 541     | 0.940 |     |     |
|     |     |     | 481/2   | 1.000 |     |     |
|     |     |     | 563/1   | 0.240 |     |     |
|     |     |     | 563/2   | 0.800 |     |     |
|     |     |     | 759     | 1.060 |     |     |
|     |     |     | 760     | 1.060 |     |     |
|     |     |     | 51/1    | 1.080 |     |     |
|     |     |     | 101     | 0.010 |     |     |
|     |     |     | 554     | 0.080 |     |     |
|     |     |     | 769     | 1.180 |     |     |
|     |     |     | 547     | 1.210 |     |     |
|     |     |     | 834     | 0.600 |     |     |
|     |     |     | 682/1   | 1.220 |     |     |
|     |     |     | 762/1   | 1.370 |     |     |

| (1) | (2) | (3) | (4)   | (5)   | (6) | (7) |
|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|
|     |     |     | 762/3 | 1.520 |     |     |
|     |     |     | 762/2 | 1.530 |     |     |
|     |     |     | 517/1 | 1.600 |     |     |
|     |     |     | 528/2 | 0.310 |     |     |
|     |     |     | 599/2 | 0.770 |     |     |
|     |     |     | 613/2 | 0.050 |     |     |
|     |     |     | 670/2 | 0.070 |     |     |
|     |     |     | 676/2 | 0.280 |     |     |
|     |     |     | 763/2 | 0.220 |     |     |
|     |     |     | 528/3 | 0.310 |     |     |
|     |     |     | 599/3 | 0.770 |     |     |
|     |     |     | 613/3 | 0.050 |     |     |
|     |     |     | 670/3 | 0.070 |     |     |
|     |     |     | 676/3 | 0.280 |     |     |
|     |     |     | 763/3 | 0.220 |     |     |
|     |     |     | 528/1 | 0.310 |     |     |
|     |     |     | 599/1 | 0.770 |     |     |
|     |     |     | 613/1 | 0.050 |     |     |
|     |     |     | 670/1 | 0.080 |     |     |
|     |     |     | 676/1 | 0.290 |     |     |
|     |     |     | 763/1 | 0.210 |     |     |
|     |     |     | 458   | 0.280 |     |     |
|     |     |     | 481/3 | 1.400 |     |     |
|     |     |     | 549/2 | 0.090 |     |     |
|     |     |     | 589   | 0.530 |     |     |
|     |     |     | 679   | 1.180 |     |     |
|     |     |     | 739   | 0.340 |     |     |
|     |     |     | 29    | 1.950 |     |     |
|     |     |     | 94    | 0.505 |     |     |
|     |     |     | 757   | 1.100 |     |     |
|     |     |     | 758   | 1.100 |     |     |
|     |     |     | 27    | 0.450 |     |     |
|     |     |     | 306   | 0.130 |     |     |
|     |     |     | 455   | 0.610 |     |     |
|     |     |     | 49    | 0.230 |     |     |
|     |     |     | 50    | 0.720 |     |     |
|     |     |     | 100   | 0.010 |     |     |
|     |     |     | 430   | 0.950 |     |     |
|     |     |     | 700   | 0.350 |     |     |
|     |     |     | 505   | 2.300 |     |     |
|     |     |     | 17    | 0.950 |     |     |
|     |     |     | 522   | 0.210 |     |     |
|     |     |     | 601   | 2.120 |     |     |
|     |     |     | 609   | 0.090 |     |     |

| (1) | (2) | (3) | (4)     | (5)   | (6) | (7) |
|-----|-----|-----|---------|-------|-----|-----|
|     |     |     | 653     | 0.070 |     |     |
|     |     |     | 658     | 0.180 |     |     |
|     |     |     | 509/2   | 0.120 |     |     |
|     |     |     | 511/2   | 0.180 |     |     |
|     |     |     | 518/2   | 0.220 |     |     |
|     |     |     | 525/2   | 0.480 |     |     |
|     |     |     | 616/2   | 0.180 |     |     |
|     |     |     | 617/2   | 0.030 |     |     |
|     |     |     | 642/2   | 0.020 |     |     |
|     |     |     | 742/2   | 1.140 |     |     |
|     |     |     | 774/2   | 0.310 |     |     |
|     |     |     | 556     | 0.340 |     |     |
|     |     |     | 655     | 0.490 |     |     |
|     |     |     | 738     | 1.560 |     |     |
|     |     |     | 849/545 | 0.400 |     |     |
|     |     |     | 512/3   | 2.800 |     |     |
|     |     |     | 783     | 0.432 |     |     |
|     |     |     | 512/2/क | 1.740 |     |     |
|     |     |     | 614/2   | 0.050 |     |     |
|     |     |     | 749/2   | 1.230 |     |     |
|     |     |     | 755/2   | 0.140 |     |     |
|     |     |     | 23      | 1.490 |     |     |
|     |     |     | 31      | 0.570 |     |     |
|     |     |     | 40      | 0.370 |     |     |
|     |     |     | 112     | 0.250 |     |     |
|     |     |     | 465     | 0.540 |     |     |
|     |     |     | 52      | 0.800 |     |     |
|     |     |     | 54      | 0.820 |     |     |
|     |     |     | 90      | 0.080 |     |     |
|     |     |     | 103     | 0.040 |     |     |
|     |     |     | 553     | 1.320 |     |     |
|     |     |     | 701     | 0.350 |     |     |
|     |     |     | 611     | 0.140 |     |     |
|     |     |     | 766/2   | 2.420 |     |     |
|     |     |     | 826     | 0.950 |     |     |
|     |     |     | 510     | 0.400 |     |     |
|     |     |     | 619     | 0.250 |     |     |
|     |     |     | 649     | 0.700 |     |     |
|     |     |     | 751/2   | 0.820 |     |     |
|     |     |     | 766/3   | 1.340 |     |     |
|     |     |     | 18      | 0.970 |     |     |
|     |     |     | 21      | 0.680 |     |     |
|     |     |     | 24      | 0.670 |     |     |
|     |     |     | 30      | 0.630 |     |     |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)   | (6) | (7) |
|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|
|     |     |     | 41  | 0.410 |     |     |
|     |     |     | 111 | 0.140 |     |     |
|     |     |     | 113 | 0.100 |     |     |
|     |     |     | 53  | 1.010 |     |     |
|     |     |     | 78  | 0.070 |     |     |
|     |     |     | 157 | 2.540 |     |     |
|     |     |     | 500 | 0.650 |     |     |
|     |     |     | 545 | 0.400 |     |     |
|     |     |     | 623 | 0.340 |     |     |
|     |     |     | 807 | 1.040 |     |     |
|     |     |     | 811 | 1.350 |     |     |
|     |     |     | 148 | 0.230 |     |     |
|     |     |     | 441 | 1.680 |     |     |
|     |     |     | 444 | 0.141 |     |     |
|     |     |     | 703 | 1.400 |     |     |
|     |     |     | 539 | 0.640 |     |     |
|     |     |     | 588 | 1.700 |     |     |
|     |     |     | 602 | 0.700 |     |     |
|     |     |     | 648 | 1.160 |     |     |
|     |     |     | 631 | 0.050 |     |     |
|     |     |     | 659 | 0.110 |     |     |
|     |     |     | 678 | 2.500 |     |     |
|     |     |     | 733 | 0.710 |     |     |
|     |     |     | 754 | 0.420 |     |     |
|     |     |     | 828 | 0.570 |     |     |
|     |     |     | 632 | 0.180 |     |     |
|     |     |     | 680 | 2.510 |     |     |
|     |     |     | 732 | 0.710 |     |     |
|     |     |     | 753 | 0.090 |     |     |
|     |     |     | 756 | 0.520 |     |     |
|     |     |     | 829 | 0.380 |     |     |
|     |     |     | 596 | 1.950 |     |     |
|     |     |     | 597 | 1.070 |     |     |
|     |     |     | 633 | 0.140 |     |     |
|     |     |     | 734 | 1.300 |     |     |
|     |     |     | 580 | 4.220 |     |     |
|     |     |     | 660 | 0.080 |     |     |
|     |     |     | 836 | 0.090 |     |     |
|     |     |     | 837 | 0.380 |     |     |
|     |     |     | 529 | 0.930 |     |     |
|     |     |     | 598 | 1.940 |     |     |
|     |     |     | 604 | 1.150 |     |     |
|     |     |     | 605 | 0.020 |     |     |
|     |     |     | 612 | 0.140 |     |     |

| (1) | (2) | (3) | (4)   | (5)   | (6) | (7) |
|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|
|     |     |     | 671   | 0.220 |     |     |
|     |     |     | 764   | 0.660 |     |     |
|     |     |     | 520   | 1.640 |     |     |
|     |     |     | 607   | 0.200 |     |     |
|     |     |     | 748   | 2.410 |     |     |
|     |     |     | 771   | 0.990 |     |     |
|     |     |     | 524   | 1.960 |     |     |
|     |     |     | 614/1 | 0.050 |     |     |
|     |     |     | 741   | 1.630 |     |     |
|     |     |     | 749/1 | 1.220 |     |     |
|     |     |     | 755/1 | 0.470 |     |     |
|     |     |     | 483   | 1.110 |     |     |
|     |     |     | 490   | 0.300 |     |     |
|     |     |     | 502   | 1.860 |     |     |
|     |     |     | 728   | 2.060 |     |     |
|     |     |     | 16    | 0.225 |     |     |
|     |     |     | 521   | 0.080 |     |     |
|     |     |     | 538   | 0.630 |     |     |
|     |     |     | 587   | 3.070 |     |     |
|     |     |     | 590   | 0.810 |     |     |
|     |     |     | 639   | 0.180 |     |     |
|     |     |     | 664   | 0.790 |     |     |
|     |     |     | 509/1 | 0.330 |     |     |
|     |     |     | 511/1 | 0.520 |     |     |
|     |     |     | 518/1 | 0.670 |     |     |
|     |     |     | 525/1 | 1.470 |     |     |
|     |     |     | 616/1 | 0.530 |     |     |
|     |     |     | 617/1 | 0.100 |     |     |
|     |     |     | 642/1 | 0.090 |     |     |
|     |     |     | 742/1 | 1.910 |     |     |
|     |     |     | 774/1 | 0.310 |     |     |
|     |     |     | 22    | 0.147 |     |     |
|     |     |     | 288   | 0.320 |     |     |
|     |     |     | 390   | 1.390 |     |     |
|     |     |     | 391   | 0.290 |     |     |
|     |     |     | 392   | 0.160 |     |     |
|     |     |     | 393   | 0.260 |     |     |
|     |     |     | 463   | 0.250 |     |     |
|     |     |     | 489   | 0.540 |     |     |
|     |     |     | 492   | 0.460 |     |     |
|     |     |     | 712   | 0.570 |     |     |
|     |     |     | 727   | 0.650 |     |     |
|     |     |     | 731   | 1.300 |     |     |
|     |     |     | 581   | 1.810 |     |     |



| (1) | (2) | (3) | (4)   | (5)   | (6) | (7) |
|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|
|     |     |     | 593   | 2.870 |     |     |
|     |     |     | 594   | 0.200 |     |     |
|     |     |     | 629   | 0.150 |     |     |
|     |     |     | 641   | 0.050 |     |     |
|     |     |     | 647   | 2.040 |     |     |
|     |     |     | 667   | 0.400 |     |     |
|     |     |     | 507   | 2.080 |     |     |
|     |     |     | 508   | 0.610 |     |     |
|     |     |     | 628   | 0.290 |     |     |
|     |     |     | 645   | 2.210 |     |     |
|     |     |     | 672   | 2.370 |     |     |
|     |     |     | 559   | 1.210 |     |     |
|     |     |     | 643   | 0.370 |     |     |
|     |     |     | 723   | 2.110 |     |     |
|     |     |     | 735   | 3.790 |     |     |
|     |     |     | 736   | 0.890 |     |     |
|     |     |     | 833   | 0.890 |     |     |
|     |     |     |       | 1.010 |     |     |
|     |     |     | 724   | 0.760 |     |     |
|     |     |     | 825/4 | 0.640 |     |     |
|     |     |     | 704   | 0.390 |     |     |
|     |     |     | 824   | 0.810 |     |     |
|     |     |     | 822   | 0.820 |     |     |
|     |     |     | 821   | 0.820 |     |     |
|     |     |     | 51/1  | 1.080 |     |     |
|     |     |     | 101   | 0.010 |     |     |
|     |     |     | 554   | 0.080 |     |     |
|     |     |     | 769   | 1.180 |     |     |
|     |     |     | 825/2 | 1.200 |     |     |
|     |     |     | 772   | 0.560 |     |     |
|     |     |     | 820   | 0.560 |     |     |
|     |     |     | 729/1 | 1.500 |     |     |
|     |     |     | 825/1 | 1.600 |     |     |
|     |     |     | 823   | 0.820 |     |     |
|     |     |     | 76    | 0.300 |     |     |
|     |     |     | 27    | 1.510 |     |     |
|     |     |     | 726   | 0.910 |     |     |
|     |     |     | 774/2 | 0.310 |     |     |
|     |     |     | 23    | 1.670 |     |     |
|     |     |     | 31    | 0.570 |     |     |
|     |     |     | 31    | 0.570 |     |     |
|     |     |     | 52    | 0.800 |     |     |
|     |     |     | 781   | 3.450 |     |     |
|     |     |     | 775/2 | 2.350 |     |     |

| (1) | (2) | (3)               | (4)   | (5)            | (6) | (7) |
|-----|-----|-------------------|-------|----------------|-----|-----|
|     |     |                   | 447   | 1.280          |     |     |
|     |     |                   | 446   | 1.260          |     |     |
|     |     |                   | 826   | 0.950          |     |     |
|     |     |                   | 818/2 | 0.620          |     |     |
|     |     |                   | 21    | 0.680          |     |     |
|     |     |                   | 24    | 0.670          |     |     |
|     |     |                   | 703   | 1.400          |     |     |
|     |     |                   |       | 0.800          |     |     |
|     |     |                   | 728   | 2.060          |     |     |
|     |     |                   | 26    | 2.110          |     |     |
|     |     |                   | 774/1 | 0.310          |     |     |
|     |     |                   | 710   | 1.010          |     |     |
|     |     |                   | 782   | 4.180          |     |     |
|     |     |                   | 712   | 0.570          |     |     |
|     |     |                   | 727   | 0.650          |     |     |
|     |     |                   | 731   | 1.300          |     |     |
|     |     |                   | 711   | 0.630          |     |     |
|     |     |                   | 721   | 5.370          |     |     |
|     |     |                   | 73    | 0.270          |     |     |
|     |     |                   | 725   | 1.980          |     |     |
|     |     | निजी भूमि योग . . |       | <u>215.454</u> |     |     |
|     |     | शासकीय भूमि . .   |       | <u>52.245</u>  |     |     |
|     |     | कुल योग . .       |       | <u>267.699</u> |     |     |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

डिण्डौरी, दिनांक 24 सितम्बर 2016

क्र. भू-अर्जन (अ-82) 2015-2016-1273.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन विभाग, डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |                 | अनुसूची                      |              | निर्माण कार्य एजेंसी                             | सार्वजनिक प्रयोजन                                  |                                      |
|---------------|-----------------|------------------------------|--------------|--|--|--------------------------------------|
| जिला          | तहसील/<br>तालुक | नगर/ग्राम                    | खसरा<br>नंबर | भू-अर्जन हेतु<br>प्रस्तावित रकबा<br>(हेक्टर में) | का नाम   | का वर्णन                             |
| (1)           | (2)             | (3)                          | (4)          | (5)  | (6)  | (7)                                  |
| डिण्डौरी      | शहपुरा          | संग्रामपुर मा.<br>प.ह.नं. 15 | 323          | 0.08   | कार्यपालन यंत्रि,<br>जल संसाधन संभाग,<br>डिण्डौरी. | बिलगाँव मध्यम परियोजना<br>नहर कार्य. |
|               |                 |                              | 324          | 0.01   |  |                                      |
|               |                 |                              | 351          | 0.03   |  |                                      |

| (1) | (2) | (3) | (4)               | (5)   | (6) | (7) |
|-----|-----|-----|-------------------|-------|-----|-----|
|     |     |     | 325               | 0.010 |     |     |
|     |     |     | 320/2             | 0.02  |     |     |
|     |     |     | 320/1             | 0.02  |     |     |
|     |     |     | 326/2             | 0.01  |     |     |
|     |     |     | 327               | 0.03  |     |     |
|     |     |     | 328               | 0.01  |     |     |
|     |     |     | 329/1             | 0.01  |     |     |
|     |     |     | 358               | 0.05  |     |     |
|     |     |     | 355               | 0.02  |     |     |
|     |     |     | 354               | 0.05  |     |     |
|     |     |     | 349               | 0.02  |     |     |
|     |     |     | 348               | 0.04  |     |     |
|     |     |     | 350               | 0.03  |     |     |
|     |     |     | 343               | 0.04  |     |     |
|     |     |     | 329/2             | 0.01  |     |     |
|     |     |     | निजी भूमि योग . . | 0.490 |     |     |
|     |     |     | शासकीय भूमि . .   | 0.010 |     |     |
|     |     |     | कुल योग . .       | 0.500 |     |     |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन (अ-82) 2015-2016-1274.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |                 | अनुसूची                      |              | निर्माण कार्य एजेंसी                             | सार्वजनिक प्रयोजन                                  |                                      |
|---------------|-----------------|------------------------------|--------------|--|--|--------------------------------------|
| जिला          | तहसील/<br>तालुक | नगर/ग्राम                    | खसरा<br>नंबर | भू-अर्जन हेतु<br>प्रस्तावित रकबा<br>(हेक्टर में) | का नाम   | का वर्णन                             |
| (1)           | (2)             | (3)                          | (4)          | (5)  | (6)  | (7)                                  |
| डिण्डौरी      | शहपुरा          | संग्रामपुर रै.<br>प.ह.नं. 15 | 123/1        | 0.09   | कार्यपालन यंत्री,<br>जल संसाधन संभाग,<br>डिण्डौरी. | बिलगाँव मध्यम परियोजना<br>नहर कार्य. |
|               |                 |                              | 98           | 0.01   |  |                                      |
|               |                 |                              | 96           | 0.02   |  |                                      |
|               |                 |                              | 99/1         | 0.010  |  |                                      |
|               |                 |                              | 97           | 0.05   |  |                                      |
|               |                 |                              | 94/1         | 0.03   |  |                                      |

| (1) | (2) | (3) | (4)               | (5)          | (6) | (7) |
|-----|-----|-----|-------------------|--------------|-----|-----|
|     |     |     | 94/2              | 0.03         |     |     |
|     |     |     | 28                | 0.01         |     |     |
|     |     |     | 29/1              | 0.08         |     |     |
|     |     |     | 27                | 0.04         |     |     |
|     |     |     | 21                | 0.09         |     |     |
|     |     |     | 17                | 0.07         |     |     |
|     |     |     | निजी भूमि योग . . | <u>0.530</u> |     |     |
|     |     |     | शासकीय भूमि . .   | <u>0.020</u> |     |     |
|     |     |     | कुल योग . .       | <u>0.550</u> |     |     |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन (अ-82) 2015-2016-1275.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |                 | निर्माण कार्य एजेंसी का नाम |                   | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                 |                   |                            |
|---------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|--|-------------------|----------------------------|
| जिला          | तहसील/<br>तालुक | नगर/ग्राम                   | खसरा नंबर         | भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में) | का नाम            | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
| (1)           | (2)             | (3)                         | (4)               | (5)  | (6)               | (7)                        |
| डिण्डौरी      | शहपुरा          | सुरजपुरा<br>प.ह.नं. 18      | 114               | 0.05                                       | कार्यपालन यंत्री, | बिलगांव मध्यम परियोजना     |
|               |                 |                             | 154               | 0.03                                       | जल संसाधन संभाग,  | नहर कार्य.                 |
|               |                 |                             | 115               | 0.10                                       | डिण्डौरी.         |                            |
|               |                 |                             | 116               | 0.060                                      |                   |                            |
|               |                 |                             | 106               | 0.04                                       |                   |                            |
|               |                 |                             | 107               | 0.04                                       |                   |                            |
|               |                 |                             | 103/1             | 0.02                                       |                   |                            |
|               |                 |                             | 103/2             | 0.01                                       |                   |                            |
|               |                 |                             | 103/3             | 0.01                                       |                   |                            |
|               |                 |                             | 104               | 0.06                                       |                   |                            |
|               |                 |                             | 136               | 0.08                                       |                   |                            |
|               |                 |                             | 135               | 0.01                                       |                   |                            |
|               |                 |                             | 138               | 0.06                                       |                   |                            |
|               |                 |                             | 157               | 0.27                                       |                   |                            |
|               |                 |                             | निजी भूमि योग . . | <u>0.840</u>                               |                   |                            |
|               |                 |                             | शासकीय भूमि . .   | <u>0.050</u>                               |                   |                            |
|               |                 |                             | कुल योग . .       | <u>0.890</u>                               |                   |                            |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन (अ-82) 2015-2016-1276.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

| भूमि का वर्णन |             |            | अनुसूची   |  | निर्माण कार्य एजेंसी का नाम                        | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन           |
|---------------|-------------|------------|-----------|--|--|--------------------------------------|
| जिला          | तहसील/तालुक | नगर/ग्राम  | खसरा नंबर | भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में) |  |                                      |
| (1)           | (2)         | (3)        | (4)       | (5)  | (6)  | (7)                                  |
| डिण्डौरी      | शहपुरा      | प.ह.नं. 42 | 300       | 0.15                                       | कार्यपालन यंत्री,<br>जल संसाधन संभाग,<br>डिण्डौरी. | बिलगाँव मध्यम परियोजना<br>नहर कार्य. |
|               |             |            | 301       | 0.01                                       |  |                                      |
|               |             |            | 302       | 0.02                                       |  |                                      |
|               |             |            | 311       | 0.02                                       |  |                                      |
|               |             |            | 312       | 0.02                                       |  |                                      |
|               |             |            | 313       | 0.05                                       |  |                                      |
|               |             |            | 314       | 0.03                                       |  |                                      |
|               |             |            | 316       | 0.10                                       |  |                                      |
|               |             |            | 807/1     | 0.02                                       |  |                                      |
|               |             |            | 806       | 0.03                                       |  |                                      |
|               |             |            | 809/1     | 0.03                                       |  |                                      |
|               |             |            | 809/2     | 0.02                                       |  |                                      |
|               |             |            | 810/1     | 0.01                                       |  |                                      |
|               |             |            | 811       | 0.05                                       |  |                                      |
|               |             |            | 812       | 0.03                                       |  |                                      |
|               |             |            | 815/1     | 0.03                                       |  |                                      |
|               |             |            | 816       | 0.05                                       |  |                                      |
|               |             |            | 905/1     | 0.03                                       |  |                                      |
|               |             |            | 905/2     | 0.07                                       |  |                                      |
|               |             |            | 906/1     | 0.01                                       |  |                                      |
|               |             |            | 907       | 0.08                                       |  |                                      |
|               |             |            | 904       | 0.03                                       |  |                                      |
|               |             |            | 781       | 0.01                                       |  |                                      |
|               |             |            | 776       | 0.02                                       |  |                                      |
|               |             |            | 807/2     | 0.01                                       |  |                                      |
|               |             |            | 815/2     | 0.03                                       |  |                                      |
|               |             |            | 906/2     | 0.02                                       |  |                                      |
|               |             |            | 901       | 0.01                                       |  |                                      |
|               |             |            | 1164      | 0.02                                       |  |                                      |

| (1) | (2) | (3) | (4)               | (5)          | (6) | (7) |
|-----|-----|-----|-------------------|--------------|-----|-----|
|     |     |     | 1170              | 0.01         |     |     |
|     |     |     | 1174              | 0.03         |     |     |
|     |     |     | 1169              | 0.01         |     |     |
|     |     |     | 1173              | 0.03         |     |     |
|     |     |     | 1171              | 0.01         |     |     |
|     |     |     | 1172              | 0.06         |     |     |
|     |     |     | 1175              | 0.03         |     |     |
|     |     |     | 1178              | 0.09         |     |     |
|     |     |     | 1177              | 0.21         |     |     |
|     |     |     | 1180              | 0.02         |     |     |
|     |     |     | 1200              | 0.01         |     |     |
|     |     |     | 1181              | 0.03         |     |     |
|     |     |     | 1196              | 0.02         |     |     |
|     |     |     | 1201              | 0.08         |     |     |
|     |     |     | 1202              | 0.04         |     |     |
|     |     |     | 1217              | 0.06         |     |     |
|     |     |     | 360/5             | 0.07         |     |     |
|     |     |     | 960/4             | 0.07         |     |     |
|     |     |     | 951               | 0.02         |     |     |
|     |     |     | 952               | 0.03         |     |     |
|     |     |     | 962               | 0.03         |     |     |
|     |     |     | 963               | 0.16         |     |     |
|     |     |     | 972               | 0.06         |     |     |
|     |     |     | 973/2             | 0.02         |     |     |
|     |     |     | 973/1             | 0.02         |     |     |
|     |     |     | 973/3             | 0.02         |     |     |
|     |     |     | 999/1             | 0.04         |     |     |
|     |     |     | 999/2             | 0.03         |     |     |
|     |     |     | 999/3             | 0.03         |     |     |
|     |     |     | निजी भूमि योग . . | <u>2.350</u> |     |     |
|     |     |     | शासकीय भूमि . .   | <u>0.210</u> |     |     |
|     |     |     | कुल योग . .       | <u>2.560</u> |     |     |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-1277-(अ-82)-2015-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से खाने (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

#### अनुसूची धारा-11

| भूमि का वर्णन |                 | निर्माण कार्य एजेंसी        |  | सार्वजनिक प्रयोजन                                    |  |                                      |
|---------------|-----------------|-----------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| जिला          | तहसील/<br>तालुक | नगर/ग्राम                   | खसरा<br>नंबर                           | भू-अर्जन हेतु<br>प्रस्तावित रकबा<br>(हेक्टर में)     | का नाम   | सार्वजनिक प्रयोजन<br>का वर्णन        |
| (1)           | (2)             | (3)                         | (4)                                    | (5)  | (6)  | (7)                                  |
| डिण्डौरी      | शहपुरा          | कारीगढहरी रै.<br>प.ह.नं. 61 | 65<br>59<br>50<br>49<br>32<br>53<br>54 | 0.16<br>0.32<br>0.16<br>0.10<br>0.12<br>0.06<br>0.02 | कार्यपालन यंत्री,<br>जल संसाधन संभाग,<br>डिण्डौरी. | बिलगाँव मध्यम परियोजना<br>नहर कार्य. |
|               |                 |                             | निजी भूमि योग . .                      | 0.940  |  |                                      |
|               |                 |                             | शासकीय भूमि . .                        | 0.030  |  |                                      |
|               |                 |                             | कुल योग . .                            | 0.970  |  |                                      |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)-2015-2016-1278.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

#### अनुसूची धारा-11

| भूमि का वर्णन |                 | निर्माण कार्य एजेंसी   |   | सार्वजनिक प्रयोजन                                    |  |                                      |
|---------------|-----------------|------------------------|---|--|--|--------------------------------------|
| जिला          | तहसील/<br>तालुक | नगर/ग्राम              | खसरा<br>नंबर                                      | भू-अर्जन हेतु<br>प्रस्तावित रकबा<br>(हेक्टर में)     | का नाम   | सार्वजनिक प्रयोजन<br>का वर्णन        |
| (1)           | (2)             | (3)                    | (4)   | (5)  | (6)  | (7)                                  |
| डिण्डौरी      | शहपुरा          | चाटी मा.<br>प.ह.नं. 61 | 330<br>329/2<br>329/1<br>328<br>327<br>326<br>320 | 0.22<br>0.03<br>0.20<br>0.09<br>0.02<br>0.07<br>0.03 | कार्यपालन यंत्री,<br>जल संसाधन संभाग,<br>डिण्डौरी. | बिलगाँव मध्यम परियोजना<br>नहर कार्य. |

| (1) | (2) | (3) | (4)               | (5)          | (6) | (7) |
|-----|-----|-----|-------------------|--------------|-----|-----|
|     |     |     | 319               | 0.11         |     |     |
|     |     |     | 324               | 0.02         |     |     |
|     |     |     | 318               | 0.05         |     |     |
|     |     |     | निजी भूमि योग . . | <u>0.840</u> |     |     |
|     |     |     | शासकीय भूमि . .   | <u>0.000</u> |     |     |
|     |     |     | कुल योग . .       | <u>0.840</u> |     |     |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)-2015-2016-1279.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "समाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

#### अनुसूची धारा-11

| भूमि का वर्णन |                 | निर्माण कार्य एजेंसी का नाम |           | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                 |  |                                      |
|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------|--|--|--------------------------------------|
| जिला          | तहसील/<br>तालुक | नगर/ग्राम                   | खसरा नंबर | भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में) | का नाम   | का वर्णन                             |
| (1)           | (2)             | (3)                         | (4)       | (5)  | (6)  | (7)                                  |
| डिण्डौरी      | शहपुरा          | कंचनपुर मा.<br>प.ह.नं. 62   | 35        | 0.05                                       | कार्यपालन यंत्री,<br>जल संसाधन संभाग,<br>डिण्डौरी. | बिलगाँव मध्यम परियोजना<br>नहर कार्य. |
|               |                 |                             | 34        | 0.06                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 33        | 0.11                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 32        | 0.05                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 31/1      | 0.02                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 30        | 0.16                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 61        | 0.04                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 29        | 0.10                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 62        | 0.04                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 64/1      | 0.01                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 90        | 0.03                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 93        | 0.02                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 63/2      | 0.03                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 28        | 0.06                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 64/2      | 0.01                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 64/3      | 0.01                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 65        | 0.15                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 91        | 0.04                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 264       | 0.05                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 66        | 0.01                                       |  |                                      |



| (1) | (2) | (3) | (4)               | (5)          | (6) | (7) |
|-----|-----|-----|-------------------|--------------|-----|-----|
|     |     |     | 72                | 0.09         |     |     |
|     |     |     | 79                | 0.10         |     |     |
|     |     |     | 253/2             | 0.08         |     |     |
|     |     |     | 130               | 0.02         |     |     |
|     |     |     | 80/1              | 0.02         |     |     |
|     |     |     | 80/2              | 0.02         |     |     |
|     |     |     | 80/3              | 0.02         |     |     |
|     |     |     | 80/4              | 0.01         |     |     |
|     |     |     | 86/1/2            | 0.02         |     |     |
|     |     |     | 127/3             | 0.02         |     |     |
|     |     |     | 81/1              | 0.02         |     |     |
|     |     |     | 81/2              | 0.02         |     |     |
|     |     |     | 81/3              | 0.02         |     |     |
|     |     |     | 89                | 0.03         |     |     |
|     |     |     | 92                | 0.02         |     |     |
|     |     |     | 162               | 0.04         |     |     |
|     |     |     | 177               | 0.14         |     |     |
|     |     |     | 129               | 0.06         |     |     |
|     |     |     | 131               | 0.10         |     |     |
|     |     |     | 132               | 0.07         |     |     |
|     |     |     | 127/2             | 0.02         |     |     |
|     |     |     | 127/1             | 0.01         |     |     |
|     |     |     | 127/1             | 0.02         |     |     |
|     |     |     | 133               | 0.07         |     |     |
|     |     |     | 134               | 0.08         |     |     |
|     |     |     | 163               | 0.07         |     |     |
|     |     |     | 161               | 0.01         |     |     |
|     |     |     | 137               | 0.07         |     |     |
|     |     |     | 135               | 0.02         |     |     |
|     |     |     | 136               | 0.07         |     |     |
|     |     |     | 138               | 0.06         |     |     |
|     |     |     | 265               | 0.05         |     |     |
|     |     |     | 124               | 0.01         |     |     |
|     |     |     | 122               | 0.06         |     |     |
|     |     |     | 253/1             | 0.03         |     |     |
|     |     |     | 253/3             | 0.03         |     |     |
|     |     |     | 253/4             | 0.03         |     |     |
|     |     |     | निजी भूमि योग . . | <u>2.720</u> |     |     |
|     |     |     | शासकीय भूमि . .   | <u>0.040</u> |     |     |
|     |     |     | कुल योग . .       | <u>2.760</u> |     |     |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)-2015-2016-1280.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता

पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "समाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

#### अनुसूची धारा-11

| जिला     | भूमि का वर्णन |                        | खसरा नंबर | भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में) | निर्माण कार्य एजेंसी का नाम                        | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन           |
|----------|---------------|------------------------|-----------|--|--|--------------------------------------|
|          | तहसील/तालुक   | नगर/ग्राम              |           |  |  |                                      |
| (1)      | (2)           | (3)                    | (4)       | (5)  | (6)  | (7)                                  |
| डिण्डौरी | शहपुरा        | डुंडीसरई<br>प.ह.नं. 62 | 19        | 0.27                                       | कार्यपालन यंत्री,<br>जल संसाधन संभाग,<br>डिण्डौरी. | बिलगाँव मध्यम परियोजना<br>नहर कार्य. |
|          |               |                        | 20        | 0.05                                       |  |                                      |
|          |               |                        | 31        | 0.04                                       |  |                                      |
|          |               |                        | 32        | 0.01                                       |  |                                      |
|          |               |                        | 48        | 0.09                                       |  |                                      |
|          |               |                        | 30        | 0.04                                       |  |                                      |
|          |               |                        | 37        | 0.03                                       |  |                                      |
|          |               |                        | 92        | 0.07                                       |  |                                      |
|          |               |                        | 54        | 0.02                                       |  |                                      |
|          |               |                        | 55        | 0.02                                       |  |                                      |
|          |               |                        | 47        | 0.09                                       |  |                                      |
|          |               |                        | 56        | 0.04                                       |  |                                      |
|          |               |                        | 91        | 0.07                                       |  |                                      |
|          |               |                        | 57        | 0.05                                       |  |                                      |
|          |               |                        | 70        | 0.02                                       |  |                                      |
|          |               |                        | 73        | 0.05                                       |  |                                      |
|          |               |                        | 71        | 0.02                                       |  |                                      |
|          |               |                        | 74        | 0.02                                       |  |                                      |
|          |               |                        | 69        | 0.06                                       |  |                                      |
|          |               |                        | 68        | 0.13                                       |  |                                      |
|          |               |                        | 78/1/2    | 0.31                                       |  |                                      |
|          |               |                        | 76/2      | 0.03                                       |  |                                      |
|          |               |                        | 66/1      | 0.08                                       |  |                                      |
|          |               |                        | 88        | 0.02                                       |  |                                      |
|          |               |                        | 89        | 0.28                                       |  |                                      |
|          |               |                        | 282       | 0.08                                       |  |                                      |
|          |               |                        | 283       | 0.08                                       |  |                                      |
|          |               |                        | 281/1     | 0.07                                       |  |                                      |
|          |               |                        | 294       | 0.57                                       |  |                                      |

| (1) | (2) | (3) | (4)               | (5)          | (6) | (7) |
|-----|-----|-----|-------------------|--------------|-----|-----|
|     |     |     | 292/1             | 0.02         |     |     |
|     |     |     | 76/3              | 0.03         |     |     |
|     |     |     | 76/1              | 0.03         |     |     |
|     |     |     | 292/2             | 0.15         |     |     |
|     |     |     | 281/2             | 0.07         |     |     |
|     |     |     | 281/3             | 0.06         |     |     |
|     |     |     | 281/4             | 0.06         |     |     |
|     |     |     | 281/5             | 0.06         |     |     |
|     |     |     | 281/6             | 0.06         |     |     |
|     |     |     | 281/7             | 0.06         |     |     |
|     |     |     | निजी भूमि योग . . | <u>3.310</u> |     |     |
|     |     |     | शासकीय भूमि . .   | <u>0.390</u> |     |     |
|     |     |     | कुल योग . .       | <u>3.700</u> |     |     |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)-2015-2016-1281.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

#### अनुसूची धारा-11

| जिला     | भूमि का वर्णन |                           | खसरा नंबर | भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में) | निर्माण कार्य एजेंसी का नाम                  | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन        |
|----------|---------------|---------------------------|-----------|--|--|-----------------------------------|
|          | तहसील/तालुक   | नगर/ग्राम                 |           |  |  |                                   |
| (1)      | (2)           | (3)                       | (4)       | (5)  | (6)  | (7)                               |
| डिण्डौरी | शहपुरा        | कारीगढ़हरी मा. प.ह.नं. 61 | 276/1     | 0.06                                       | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी. | बिलगाँव मध्यम परियोजना नहर कार्य. |
|          |               |                           | 276/2     | 0.07                                       |  |                                   |
|          |               |                           | 276/3     | 0.06                                       |  |                                   |
|          |               |                           | 276/4     | 0.07                                       |  |                                   |
|          |               |                           | 276/5     | 0.07                                       |  |                                   |
|          |               |                           | 282       | 0.40                                       |  |                                   |
|          |               |                           | 283       | 0.04                                       |  |                                   |
|          |               |                           | 409       | 0.06                                       |  |                                   |
|          |               |                           | 285       | 0.23                                       |  |                                   |
|          |               |                           | 286       | 0.03                                       |  |                                   |
|          |               |                           | 291/1     | 0.04                                       |  |                                   |
|          |               |                           | 291/2     | 0.04                                       |  |                                   |

| (1) | (2) | (3) | (4)               | (5)          | (6) | (7) |
|-----|-----|-----|-------------------|--------------|-----|-----|
|     |     |     | 291/3             | 0.04         |     |     |
|     |     |     | 291/4             | 0.01         |     |     |
|     |     |     | 292               | 0.12         |     |     |
|     |     |     | 294               | 0.15         |     |     |
|     |     |     | 295               | 0.09         |     |     |
|     |     |     | 311               | 0.28         |     |     |
|     |     |     | 313               | 0.02         |     |     |
|     |     |     | 314               | 0.15         |     |     |
|     |     |     | 315               | 0.05         |     |     |
|     |     |     | 316/1             | 0.03         |     |     |
|     |     |     | 425               | 0.16         |     |     |
|     |     |     | 428               | 0.10         |     |     |
|     |     |     | 413               | 0.13         |     |     |
|     |     |     | 410               | 0.19         |     |     |
|     |     |     | 408               | 0.16         |     |     |
|     |     |     | 406               | 0.17         |     |     |
|     |     |     | 400               | 0.06         |     |     |
|     |     |     | 426               | 0.02         |     |     |
|     |     |     | निजी भूमि योग . . | <u>3.100</u> |     |     |
|     |     |     | शासकीय भूमि . .   | <u>0.170</u> |     |     |
|     |     |     | कुल योग . .       | <u>3.270</u> |     |     |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)-2015-2016-1282.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

#### अनुसूची धारा-11

| जिला     | भूमि का वर्णन |                        | खसरा नंबर | भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में) | निर्माण कार्य एजेंसी का नाम | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|----------|---------------|------------------------|-----------|--|-----------------------------|----------------------------|
|          | तहसील/ तालुक  | नगर/ग्राम              |           |  |                             |                            |
| (1)      | (2)           | (3)                    | (4)       | (5)  | (6)                         | (7)                        |
| डिण्डौरी | शहपुरा        | कंचनपुर मा. प.ह.नं. 62 | 33        | 0.13                                       | कार्यपालन यंत्री,           | बिलागाँव मध्यम परियोजना    |
|          |               |                        | 22        | 0.22                                       | जल संसाधन संभाग,            | नहर कार्य.                 |
|          |               |                        | 21        | 0.08                                       | डिण्डौरी.                   |                            |
|          |               |                        | 18        | 0.05                                       |                             |                            |

| (1) | (2) | (3) | (4)               | (5)          | (6) | (7) |
|-----|-----|-----|-------------------|--------------|-----|-----|
|     |     |     | 19                | 0.07         |     |     |
|     |     |     | 17                | 0.04         |     |     |
|     |     |     | 16                | 0.07         |     |     |
|     |     |     | 6                 | 0.11         |     |     |
|     |     |     | 7                 | 0.17         |     |     |
|     |     |     | 4                 | 0.11         |     |     |
|     |     |     | 3                 | 0.11         |     |     |
|     |     |     | 1/1               | 0.13         |     |     |
|     |     |     | 1/2               | 0.07         |     |     |
|     |     |     | निजी भूमि योग . . | <u>1.360</u> |     |     |
|     |     |     | शासकीय भूमि . .   | <u>0.060</u> |     |     |
|     |     |     | कुल योग . .       | <u>1.420</u> |     |     |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)-2015-2016-1283.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

#### अनुसूची धारा-11

| भूमि का वर्णन |                 | निर्माण कार्य एजेंसी        |  | सार्वजनिक प्रयोजन  |  |                                      |
|---------------|-----------------|-----------------------------|--|--------------------|--|--------------------------------------|
| जिला          | तहसील/<br>तालुक | खसरा<br>नंबर                | भू-अर्जन हेतु<br>प्रस्तावित रकबा<br>(हेक्टर में) | का नाम<br>का वर्णन |  |                                      |
| (1)           | (2)             | (3)                         | (4)  | (5)                | (6)  | (7)                                  |
| डिण्डौरी      | शहपुरा          | कारीगढहरी मा.<br>प.ह.नं. 61 | 243  | 0.05               | कार्यपालन यंत्री,<br>जल संसाधन संभाग,<br>डिण्डौरी. | बिलगाँव मध्यम परियोजना<br>नहर कार्य. |
|               |                 |                             | 282  | 0.08               |  |                                      |
|               |                 |                             | 265  | 0.02               |  |                                      |
|               |                 |                             | 266  | 0.04               |  |                                      |
|               |                 |                             | 267  | 0.03               |  |                                      |
|               |                 |                             | 268/1  | 0.04               |  |                                      |
|               |                 |                             | 268/2  | 0.04               |  |                                      |
|               |                 |                             | 259  | 0.05               |  |                                      |
|               |                 |                             | 257  | 0.05               |  |                                      |
|               |                 |                             | 244  | 0.01               |  |                                      |
|               |                 |                             | 229  | 0.03               |  |                                      |
|               |                 |                             | 452/1  | 0.03               |  |                                      |
|               |                 |                             | 456/1  | 0.02               |  |                                      |
|               |                 |                             | 452/2  | 0.03               |  |                                      |

| (1) | (2) | (3) | (4)               | (5)          | (6) | (7) |
|-----|-----|-----|-------------------|--------------|-----|-----|
|     |     |     | 452/3             | 0.02         |     |     |
|     |     |     | 456/2             | 0.02         |     |     |
|     |     |     | 452/4             | 0.02         |     |     |
|     |     |     | 456/3             | 0.02         |     |     |
|     |     |     | 452/5             | 0.02         |     |     |
|     |     |     | 456/4             | 0.02         |     |     |
|     |     |     | 452/6             | 0.02         |     |     |
|     |     |     | 456/5             | 0.02         |     |     |
|     |     |     | 452/7             | 0.02         |     |     |
|     |     |     | 456/6             | 0.02         |     |     |
|     |     |     | 458/1             | 0.01         |     |     |
|     |     |     | 458/2             | 0.01         |     |     |
|     |     |     | 458/3             | 0.01         |     |     |
|     |     |     | 458/4             | 0.01         |     |     |
|     |     |     | 460               | 0.03         |     |     |
|     |     |     | 461               | 0.08         |     |     |
|     |     |     | 448/1             | 0.02         |     |     |
|     |     |     | 448/2             | 0.02         |     |     |
|     |     |     | 448/3             | 0.02         |     |     |
|     |     |     | निजी भूमि योग . . | <u>0.930</u> |     |     |
|     |     |     | शासकीय भूमि . .   | <u>0.020</u> |     |     |
|     |     |     | कुल योग . .       | <u>0.950</u> |     |     |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)-2015-2016-1284.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

#### अनुसूची धारा-11

| भूमि का वर्णन |                 |                        | निर्माण कार्य एजेंसी |  | सार्वजनिक प्रयोजन                                  |                                       |
|---------------|-----------------|------------------------|----------------------|--|--|---------------------------------------|
| जिला          | तहसील/<br>तालुक | नगर/ग्राम              | खसरा<br>नंबर         | भू-अर्जन हेतु<br>प्रस्तावित रकबा<br>(हेक्टर में) | का नाम   | का वर्णन                              |
| (1)           | (2)             | (3)                    | (4)                  | (5)  | (6)  | (7)                                   |
| डिण्डौरी      | शहपुरा          | डुंडीसरई<br>प.ह.नं. 62 | 74                   | 0.07   | कार्यपालन यंत्री,<br>जल संसाधन संभाग,<br>डिण्डौरी. | बिलागाँव मध्यम परियोजना<br>नहर कार्य. |
|               |                 |                        | 131/1                | 0.01   |  |                                       |
|               |                 |                        | 131/2                | 0.01   |  |                                       |
|               |                 |                        | 131/3                | 0.01   |  |                                       |
|               |                 |                        | 131/4                | 0.01   |  |                                       |
|               |                 |                        | 118                  | 0.04   |  |                                       |
|               |                 |                        | 119                  | 0.04   |  |                                       |
|               |                 |                        | 121                  | 0.05   |  |                                       |
|               |                 |                        | 120                  | 0.04   |  |                                       |

| (1) | (2) | (3) | (4)               | (5)          | (6) | (7) |
|-----|-----|-----|-------------------|--------------|-----|-----|
|     |     |     | 122               | 0.06         |     |     |
|     |     |     | 232               | 0.04         |     |     |
|     |     |     | 123/2             | 0.03         |     |     |
|     |     |     | 123/1             | 0.03         |     |     |
|     |     |     | 124               | 0.04         |     |     |
|     |     |     | 126               | 0.08         |     |     |
|     |     |     | 128               | 0.07         |     |     |
|     |     |     | 129               | 0.05         |     |     |
|     |     |     | 234               | 0.11         |     |     |
|     |     |     | 237               | 0.10         |     |     |
|     |     |     | 235               | 0.06         |     |     |
|     |     |     | 241               | 0.06         |     |     |
|     |     |     | 240/1             | 0.03         |     |     |
|     |     |     | 240/2             | 0.03         |     |     |
|     |     |     | 239               | 0.29         |     |     |
|     |     |     | 341               | 0.07         |     |     |
|     |     |     | 342               | 0.03         |     |     |
|     |     |     | निजी भूमि योग . . | <u>1.460</u> |     |     |
|     |     |     | शासकीय भूमि . .   | <u>0.050</u> |     |     |
|     |     |     | कुल योग . .       | <u>1.510</u> |     |     |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)-2015-2016-1285.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाघात रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

#### अनुसूची धारा-11

| भूमि का वर्णन |                 |                           |                   |  | निर्माण कार्य एजेंसी                               | सार्वजनिक प्रयोजन                    |
|---------------|-----------------|---------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|
| जिला          | तहसील/<br>तालुक | नगर/ग्राम                 | खसरा<br>नंबर      | भू-अर्जन हेतु<br>प्रस्तावित रकबा<br>(हेक्टर में) | का नाम   | का वर्णन                             |
| (1)           | (2)             | (3)                       | (4)               | (5)  | (6)  | (7)                                  |
| डिण्डौरी      | शहपुरा          | कंचनपुर रै.<br>प.ह.नं. 62 | 87                | 0.07   | कार्यपालन यंत्री,<br>जल संसाधन संभाग,<br>डिण्डौरी. | बिलगाँव मध्यम परियोजना<br>नहर कार्य. |
|               |                 |                           | 88                | 0.07   |  |                                      |
|               |                 |                           | 85/1              | 0.24   |  |                                      |
|               |                 |                           | 77/1              | 0.26   |  |                                      |
|               |                 |                           | 74                | 0.28   |  |                                      |
|               |                 |                           | 71                | 0.22   |  |                                      |
|               |                 |                           | निजी भूमि योग . . | <u>1.140</u>                                     |  |                                      |
|               |                 |                           | शासकीय भूमि . .   | <u>0.240</u>                                     |  |                                      |
|               |                 |                           | कुल योग . .       | <u>1.380</u>                                     |  |                                      |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)-2015-2016-1286.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1)

से खाना (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

### अनुसूची धारा-11

| भूमि का वर्णन |                 | निर्माण कार्य एजेंसी का नाम |              | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                 |  |                                      |
|---------------|-----------------|-----------------------------|--------------|--|--|--------------------------------------|
| जिला          | तहसील/<br>तालुक | नगर/ग्राम                   | खसरा नंबर    | भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में) | का नाम   | का वर्णन                             |
| (1)           | (2)             | (3)                         | (4)          | (5)  | (6)  | (7)                                  |
| डिण्डौरी      | शहपुरा          | बांकी<br>प.ह.नं. 42         | 397          | 0.03                                       | कार्यपालन यंत्री,<br>जल संसाधन संभाग,<br>डिण्डौरी. | बिलगाँव मध्यम परियोजना<br>नहर कार्य. |
|               |                 |                             | 395          | 0.01                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 392/2, 394/2 | 0.10                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 392/3, 394/3 | 0.15                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 392/1, 294/1 | 0.15                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 382          | 0.08                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 379          | 0.14                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 377/1        | 0.06                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 377/2        | 0.07                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 376          | 0.02                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 373/1        | 0.20                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 373/2        | 0.12                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 372          | 0.27                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 342          | 0.02                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 340/2        | 0.02                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 339          | 0.06                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 329          | 0.12                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 1146         | 0.18                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 328          | 0.03                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 288          | 0.10                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 292          | 0.20                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 296          | 0.13                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 300          | 0.10                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 297          | 0.14                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 203          | 0.02                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 202          | 0.52                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 183/1        | 0.21                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 183/4        | 0.06                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 183/2        | 0.13                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 183/3        | 0.03                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 184          | 0.21                                       |  |                                      |
|               |                 |                             | 159          | 0.03                                       |  |                                      |



| (1)      | (2)    | (3)             | (4)               | (5)    | (6) | (7) |
|----------|--------|-----------------|-------------------|--------|-----|-----|
| डिण्डौरी | शहपुरा | प. ह. नं.<br>42 | 160               | 0.02   |     |     |
|          |        |                 | 157               | 0.04   |     |     |
|          |        |                 | 155               | 0.14   |     |     |
|          |        |                 | 158               | 0.25   |     |     |
|          |        |                 | 858               | 0.13   |     |     |
|          |        |                 | 154               | 0.32   |     |     |
|          |        |                 | 845               | 0.05   |     |     |
|          |        |                 | 846               | 0.08   |     |     |
|          |        |                 | 847               | 0.05   |     |     |
|          |        |                 | 848               | 0.04   |     |     |
|          |        |                 | 150               | 0.05   |     |     |
|          |        |                 | 849/1             | 0.06   |     |     |
|          |        |                 | 135/1, 860/1      | 0.08   |     |     |
|          |        |                 | 134               | 0.10   |     |     |
|          |        |                 | 133               | 0.23   |     |     |
|          |        |                 | 132/1             | 0.08   |     |     |
|          |        |                 | 132/2             | 0.22   |     |     |
|          |        |                 | 122               | 0.04   |     |     |
|          |        |                 | 119               | 0.38   |     |     |
|          |        |                 | 1029/1            | 0.20   |     |     |
|          |        |                 | 1030              | 0.04   |     |     |
|          |        |                 | 1053              | 0.26   |     |     |
|          |        |                 | 1058              | 0.09   |     |     |
|          |        |                 | 1059              | 0.08   |     |     |
|          |        |                 | 1061              | 0.39   |     |     |
|          |        |                 | 1064              | 0.17   |     |     |
|          |        |                 | 1066/1            | 0.08   |     |     |
|          |        |                 | 1198/1            | 0.28   |     |     |
|          |        |                 | 1066/2            | 0.09   |     |     |
|          |        |                 | 1148/2            | 0.28   |     |     |
|          |        |                 | 1077              | 0.64   |     |     |
|          |        |                 | 1082              | 0.06   |     |     |
|          |        |                 | 1088              | 0.18   |     |     |
|          |        |                 | 1089              | 0.21   |     |     |
|          |        |                 | 1087              | 0.05   |     |     |
|          |        |                 | 1145              | 0.30   |     |     |
|          |        |                 | 1147              | 0.20   |     |     |
|          |        |                 | 1149              | 0.06   |     |     |
|          |        |                 | 1166              | 0.18   |     |     |
|          |        |                 | 252               | 0.01   |     |     |
|          |        |                 | 1164              | 0.20   |     |     |
|          |        |                 | 383/1             | 0.01   |     |     |
|          |        |                 | निजी भूमि योग . . | 10.240 |     |     |
|          |        |                 | शासकीय भूमि . .   | 0.660  |     |     |
|          |        |                 | कुल योग . .       | 10.900 |     |     |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)-2015-2016-1287.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

#### अनुसूची धारा-11

| भूमि का वर्णन |                 |                        |                   |  | निर्माण कार्य एजेंसी | सार्वजनिक प्रयोजन      |
|---------------|-----------------|------------------------|-------------------|--|----------------------|------------------------|
| जिला          | तहसील/<br>तालुक | नगर/ग्राम              | खसरा<br>नंबर      | भू-अर्जन हेतु<br>प्रस्तावित रकबा<br>(हेक्टर में) | का नाम               | का वर्णन               |
| (1)           | (2)             | (3)                    | (4)               | (5)  | (6)                  | (7)                    |
| डिण्डौरी      | शहपुरा          | चाटी मा.<br>प.ह.नं. 61 | 329/1             | 0.02   | कार्यपालन यंत्री,    | बिलगाँव मध्यम परियोजना |
|               |                 |                        | 329/2             | 0.01   | जल संसाधन संभाग,     | नहर कार्य.             |
|               |                 |                        | 342/3             | 0.50   | डिण्डौरी.            |                        |
|               |                 |                        | 332/2             | 0.02   |                      |                        |
|               |                 |                        | 343/1             | 0.12   |                      |                        |
|               |                 |                        | 343/2             | 0.12   |                      |                        |
|               |                 |                        | 356               | 0.27   |                      |                        |
|               |                 |                        | 360               | 0.62   |                      |                        |
|               |                 |                        | निजी भूमि योग . . | 1.680  |                      |                        |
|               |                 |                        | शासकीय भूमि . .   | 0.040  |                      |                        |
|               |                 |                        | कुल योग . .       | 1.720  |                      |                        |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)-2015-2016-1289.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

#### अनुसूची धारा-11

| भूमि का वर्णन |                 |                      |              |  | निर्माण कार्य एजेंसी | सार्वजनिक प्रयोजन      |
|---------------|-----------------|----------------------|--------------|--|----------------------|------------------------|
| जिला          | तहसील/<br>तालुक | नगर/ग्राम            | खसरा<br>नंबर | भू-अर्जन हेतु<br>प्रस्तावित रकबा<br>(हेक्टर में) | का नाम               | का वर्णन               |
| (1)           | (2)             | (3)                  | (4)          | (5)  | (6)                  | (7)                    |
| डिण्डौरी      | शहपुरा          | पथरकटा<br>प.ह.नं. 62 | 275          | 0.14   | कार्यपालन यंत्री,    | बिलगाँव मध्यम परियोजना |
|               |                 |                      | 276          | 0.18   | जल संसाधन संभाग,     | नहर कार्य.             |
|               |                 |                      | 278/1        | 0.08   | डिण्डौरी.            |                        |

| (1) | (2) | (3) | (4)               | (5)          | (6) | (7) |
|-----|-----|-----|-------------------|--------------|-----|-----|
|     |     |     | 278/2             | 0.08         |     |     |
|     |     |     | 278/3             | 0.08         |     |     |
|     |     |     | 216               | 0.07         |     |     |
|     |     |     | 232               | 0.07         |     |     |
|     |     |     | 194               | 0.13         |     |     |
|     |     |     | 217               | 0.11         |     |     |
|     |     |     | 218               | 0.14         |     |     |
|     |     |     | 207               | 0.06         |     |     |
|     |     |     | 219               | 0.07         |     |     |
|     |     |     | 226/4             | 0.04         |     |     |
|     |     |     | 196               | 0.26         |     |     |
|     |     |     | 197               | 0.10         |     |     |
|     |     |     | 193               | 0.02         |     |     |
|     |     |     | 192               | 0.07         |     |     |
|     |     |     | 191               | 0.10         |     |     |
|     |     |     | 187               | 0.37         |     |     |
|     |     |     | 184/2             | 0.14         |     |     |
|     |     |     | 178               | 0.02         |     |     |
|     |     |     | 177               | 0.08         |     |     |
|     |     |     | 166               | 0.06         |     |     |
|     |     |     | 167               | 0.18         |     |     |
|     |     |     | 168               | 0.43         |     |     |
|     |     |     | 184/1             | 0.14         |     |     |
|     |     |     | 183/2             | 0.02         |     |     |
|     |     |     | निजी भूमि योग . . | <u>3.240</u> |     |     |
|     |     |     | शासकीय भूमि . .   | <u>0.560</u> |     |     |
|     |     |     | कुल योग . .       | <u>3.800</u> |     |     |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अमित तोमर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 28 सितम्बर 2016

क्र. भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित

अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

**अनुसूची**

| जिला   | तहसील | ग्राम एवं प.ह.नं.  | भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)   | अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                     |
|--------|-------|--|--|---|--|
| (1)    | (2)   | (3)  | (4)  | (5)   | (6)  |
| मण्डला | निवास | 1. करौंदी 60<br>2. अमदरी 47<br>3. पाडरपानी 61<br>4. पिपरिया 47<br>5. पायलीबाहुर 47<br>6. लोहारी रै 49<br>7. थानमगांव 30<br>8. पाठादेवगांव 60<br>9. निवास 59<br>10. आमार्डोंगरी 59<br>11. गज्जूदेवरी 56<br>12. कुसमी 29<br>13. खड्देवरी 54<br>14. हरिसिंघौरी 29 | 32.74<br>29.00<br>1.26<br>3.00<br>9.56<br>1.07<br>1.52<br>2.02<br>1.73<br>2.96<br>2.48<br>0.24<br>3.15<br>3.16 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डला.  | गौर जलाशय के शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण हेतु. |
|        |       | कुल . .  | <u>93.89</u>   |   |  |

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in), व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in), पर देखा जा सकता है.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) निवास या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**प्रीति मैथिल नायक**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
शहडोल, दिनांक 28 सितम्बर 2016

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 35-अ-82-2015-16-4350.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

**अनुसूची**

| जिला  | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी                 | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                             |
|-------|-------|-----------|-------------------------------|--|--|
| (1)   | (2)   | (3)       | (4)                           | (5)  | (6)  |
| शहडोल | बुढार | सारंगपुर  | 1.241                         | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल, (म. प्र.) | सारंगपुर जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन. |

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**मुकेश कुमार शुक्ल**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.